माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

याचिका सं.:

विषय	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत पिछले वित्तीय एमवाईटी नियंत्रण अवधि 2007 – 08 तथा वित्तीय 2011 – 12 के लिए यथातथ्यीकरण करने के लिए टैरिफ याचिका तथा अनुवर्ती टैरिफ आदेश में इसके संशोधन के प्रभाव
और	
विषय	**इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड** पंजीकृत कार्यालय "हिमाद्रि" राजघाट पावर हाउस काम्प्लेक्स, नई दिल्ली –110002 **याचिकादाता**

उपरोक्त नामक आवेदक ससम्मान प्रस्तुत करता है

विषय सूची

अध्याय 1 – पृष्ठभूमि 7
1.1 प्रस्तावना 7
1.2 कंपनी का संक्षिप्त परिचय 9
अध्याय 2 : निवेदन 11
2.1 निवेदन योजना 11
2.2 निवेदनों का संक्षिप्त विवरण 11
अध्याय 3: चर एवं स्थायी लागत का अनुमान 16
3.1 चर लागत का प्राक्कलन 16
3.1.1 प्रचालन हेतु नियम 16
3.2 स्थायी लागत का अनुमान 43
3.2.1 पूंजी व्यय 43
3.2.2 परिचालन एवं रखरखाव व्यय 47
3.2.3 ऋण पर ब्याज 61
3.2.4 मूल्यह्रास 63
3.2.5 अंश पर लाभांश 65
माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए जीटीपीएस के लिए 79.24 करोड़ रु., आरपीएच के लिए 59. 56 करोड़ रु. और आई.पी. स्टेशन के लिए 1.20करोड़ रु. के अंश की मंजूरी दी है। इसके बाद अंश में योग को उत्पादन टैरिफ नियमन, 2007 के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान किए गए पूंजी योग की 30 प्रतिशत समतुल्य राशि के रुप में माना गया है। 65
3.2.6 कार्यशील पूंजी पर ब्याज 66
3.2.7 स्थायी लागत का सारांश 69
अध्याय 4: प्रार्थना 73
4. प्रार्थना 73

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 : उपलब्धता

तालिका 2 : जीटीपीएस की उपलब्धता

तालिका 3 : आईपीजीसीएल स्टेशनों के लिए स्टेशन टैरिफ (कि.कै / कि.वा.घंटा)

तालिका 4 : आई.पी. स्टेशन की वास्तविक ऊष्मा दर

तालिका 5 : गैस टरबाइन विद्युत गृह की ऊष्मा दर

तालिका 6 : 2004 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई ताप दर की सिफारिश

तालिका 7 : एसएनडीसी द्वारा प्रमाणित खुला चक्र

तालिका 8 : जीटीपीएस के लिए उपलब्धता और पीएलएफ की तुलना

तालिका 9 : आईपीजीसीएल स्टेशनों के लिए आंतरिक विद्युत खपत

तालिका 10 : आई.पी स्टेशन की आंतरिक विद्युत खपत

तालिका 11 : राजघाट पावर हाउस की आंतरिक विद्युत खपत

तालिका 12 : गैस टरबाइन विद्युत गृह की आंतरिक विद्युत खपत

तालिका 13 : जीटीपीएस के लिए उपलब्धता एवं पीएलएफ की तुलना

तालिका 14 : सकल और शुद्ध उत्पादन

तालिका 15 : इन्द्रपस्थ पावर स्टेशन के लिए परिवर्तनीय लागत

तालिका 16 : जीएसटी स्टेशन के लिए पूंजी व्यय

तालिका 17 : आरएवंएम के रुप में दर्ज व्यय लेकिन जीटीपीएस के लिए कैपेक्स के रुप में अनुमोदित

तालिका 18 : राजघाट पावर स्टेशन के लिए पूंजी व्यय

तालिका 19 : आर एवं एम के रुप में दर्ज व्यय लेकिन आरपीएच के लिए कैपेक्स के रुप में अनुमोदित

तालिका 20 :आई.पी.स्टेशन के लिए पूंजी व्यय

तालिका 21: आई.पी. स्टेशन के लिए ओ एवं एम व्यय की गणना

तालिका 22 : सूचकांक का गणन

तालिका 23 : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग मानदंड आधारित प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की तुलना

तालिका 24 : आरपीएच के लिए अनुमोदित की तुलना में वास्तविक ओ एवं एम

तालिका 25 : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग मानदंड आधारित प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की तुलना

तालिका 26 : अनुमति प्राप्त ओ एवं एमव व्यय की वास्तविक प्रचालन एवं रखरखाव से तुलना

तालिका 27 : जीटीपीएस के लिए अनुमोदित के विरुद्ध वास्तविक ओ एवं एम व्यय

तालिका 28 : इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड संयंत्र के लिए ऋण का द्विभाजन

तालिका 29 : ब्याज शुल्क (आई.पी.स्टेशन)

तालिका 10 : ब्याज शुल्क (आर.पी.एच)

तालिका 31 : ब्याज शुल्क (जीटीपीएस)

तालिका 32 : इन्द्रप्रस्थ स्टेशन के लिए मूल्यह्रास

तालिका 33 : मूल्यह्रास (आरपीएच)

तालिका 34 : मूल्यह्रास (जीटीपीएस)

तालिका 35 : अंश पर लाभांश (आई.पी.स्टेशन)

तालिका 36 : अंश पर लाभांश (आपीएच)

तालिका 37 : अंश पर लाभांश (जीटीपीएस)

तालिका 38 : कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आई.पी. स्टेशन)

तालिका 39 : कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आरपीएच)

तालिका 40 : कार्यशील पूंजी पर ब्याज (जीटीपीएस)

तालिका 41 : आईपी स्टेशन के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

तालिका 42 : आईपी स्टेशन के लिए कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

तालिका 43: .आई.पी. स्टेशन के लिए स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

तालिका 44 : आरपीएच के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

तालिका 45 : आरपीएच के लिए कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

तालिका 46 : आरपीएच के लिए स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

तालिका 47 : जीटीपीएस के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

तालिका 48 : जीटीपीएस के लिए कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

तालिका 49 : जीटीपीएस के लिए स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

अध्याय 1 – पृष्ठभूमि

यह अध्याय इस याचिका की पृष्ठभूमि से संबंधित हैं।

1.1 प्रस्तावना

1. विद्युत अधिनियम 2003 दिनांक 10 जून, 2003 को भारतीय विद्युत अधिनियम –1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और ई.आर.सी. अधिनियम, 1998 रद्द करते हुए अधिसूचित किया गया था। टैरिफ संबंधित प्रावधानों में, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य विद्युत विनियामक आयोग) का मार्गदर्शन राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा। विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के अनुसार राज्य आयोग राज्य के भीतर थोक, भारी मात्रा में या खुदरा जैसी भी स्थिति हो, में विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और चक्रण हेतु टैरिफ निर्धारण का कार्य करेगा। उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु टैरिफ पृथकतः निर्धारित किया जाएगा।
2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 में टैरिफ विनियमन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई हैः–

   "उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसा करने में, निम्नलिखित द्वारा मार्गदर्शित होगा, नामतः :–

   (क) उत्पादन कंपनियों और पारेषण लाईसन्सी हेतु लागू टैरिफ के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत और क्रियाविधियां;

   (ख) विद्युत की उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर किया जाये;

   (ग) कारक जो प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, श्रेष्ठ कार्यप्रदर्शन और इष्टतम निवेशों को प्रोत्साहन देते हैं;

   (घ) उपभोक्ता हितों का संरक्षण और उसी के साथ, न्यायोचित ढंग में विद्युत लागत की वसूली;

   (ङ) कार्यक्षमता को प्रोत्साहित करने वाले सिद्धांत;

   (च) बहु वर्षीय टैरिफ सिद्धांत;

   (छ) टैरिफ सतत् विद्युत आपूर्ति दर्शाता है।कि टैरिफ निरंतरता के साथ विद्युत आपूर्ति की लागत दर्शाता है और उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग में क्रॉस–सब्सिडीज में भी कमी लाता है;

   (ज) ऊर्जा के नवीनेय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन और सह–उत्पादन को प्रोत्साहन;

(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीतिः

प्रावधान किया जाता है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998, और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन जैसे कि वे निर्धारित तिथि से तत्काल पूर्व विद्यमान थे, एक वर्ष या इस धारा के अधीन टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित किए जाने तक, जो भी पूर्वतर है, लागू रहेंगी"।

3. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (इसमें आगे "आयोग" के रूप में संदर्भित) ने "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमावली, 2011" अधिसूचित की है, जिसमें नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के लिए निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं। माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2010 – 11 की अवधि के लिए अपने आदेश दिनांक 14.12.2007 के माध्यम से दर को निर्धारित किया है।

4. माननीय आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ नियंत्रण अवधि वि.वर्ष 2007–08 से वि.वर्ष 2010–11 के सिद्धांत अगले वि.वर्ष 2011–12 हेतु लागू किए थे। आईपीजीसीएल ने 13 अप्रैल, 2011 को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अपने स्टेशनों हेतु कुल राजस्व मांग के अनुमोदन तथा वि.वर्ष 2007–08 से वि.वर्ष 2010–11 तक के चार वर्षों की अवधि हेतु टैरिफ के यथातथ्यीकरण हेतु याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय आयोग ने 26.08.2011 को आदेश पारित किया और केवल राजघाट पावर हाउस और गैस टरबाइन पावर स्टेशन के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ निर्धारित की। हालांकि दर में किसी भी प्रकार का निर्धारण दिनांक 26.08.11 के आदेश में माना नहीं गया है। माननीय आयोग ने इसे निम्नानुसार माना हैः

"----चूंकि आईपी पावर स्टेशन दिसंबर 31, 2009 को स्थापित किया गया था, दर का निर्धारण इसके लिए आवश्यक नहीं है। सभी याचिकाकर्ता के ऊर्जा निर्माण करने वाले केन्द्रों के लिए निर्धारण, आई पी केन्द्र सहित, को विस्तारित नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाएगा।"

5. माननीय आयोग ने दिल्ली विद्युत निगम आयोग (सामान्य दर के निर्धारण के लिए शर्तो व स्थितियों) नियम, 2011, वित्तीय वर्ष 2012 – 13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 की नियंत्रण अवधि के लिए दर निर्धारण के लिए शर्तों व स्थितियों को स्पष्ट किया है।

6. आईपीजीसीएल यह याचिका वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक हेतु कुल राजस्व मांग (एआरआर) तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए यथातथ्यीकरण हेतु प्रस्तुत कर रहा है।

7. माननीय आयोग ने अपने आदेश को 13.07.2012 को पारित किया है तथा दरों का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2012 – 13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 की नियंत्रण अवधि के लिए किया है तथा कहा कि वास्तविक पिछली नियंत्रण अवधि के अंत पर की जाएगी अर्थात वित्तीय वर्ष 2011 –

12 जब लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुतिकरण के लिए उपलब्ध होंगे। दर आदेश का सम्बंधित उद्धृत निम्न है:

"एमवाईटी संरचनाकार्य के अंतर्गत आयोग ने अनुमान लगाया है कि नियंत्रण अवधि के लिए 23 फरवरी 2008 को जारी एमवाईटी आदेश में प्रत्येक वर्ष के लिए याचिका कर्ता ने एआरआर का अनुमान लगाया है (इसके बाद इसे एमवाईटी आदेश के नाम से जाना जाए।)। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10 मई 2011 के आदेश में एमवाईटी नियमों को तथा नियंत्रण अवधि को मार्च 31, 2012 तक बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए एआरआर आयोग के 26 अगस्त 2011 के दर आदेश के अनुसार अनुमोदित हो चुका है। एमवाईटी नियम 2007 के अनुसार, वित्त तथा पूंजीकरण सहित वास्तविक पूंजी निवेश के लिए समायोजन परीक्षित लेखों के आधार पर तथा एमवाईटी नियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के अंत में किए जाएंगे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक समायोजन नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाएगा जब याचिकाकर्ता के लेखा परीक्षित लेखा उपलब्ध होंगे।

8. माननीय आयोग ने दिनांक 26.11.2012 के अपने आदेश में पूंजीकरण के विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है अर्थात वित्त का विवरण, अचल परिसम्पत्ति आदि का विवरण वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए।
9. तद्नुसार, कंपनी यह याचिका वित्तीय व्ययों, संचालन तथा निगरानी व्ययों, पैरामानकों की शर्तें, आईपी केन्दों की विविध लागतों, आईपीजीसीएल के केन्द्रों के लिए विद्युत आदेश के लिए माननीय विशेष न्यायालय के क्रियान्वयन के समायोजन के लिए दायर कर रही है। बाद में यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आईपीजीसीएल माननीय आयोग से राहत देने की इसकी शक्ति को प्रदान करने का अनुरोध कर रहा है जहां भी याचिका में आवश्यकता हो।

1.2 कंपनी का संक्षिप्त परिचय

''**इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड**'' (आईपीजीसीएल) एक सरकारी कंपनी है जो विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन है।

दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) के सुधार और पुनर्गठन का कार्य प्रारंभ किया, जोकि एक सांविधिक अंतरण योजना माध्यम से कार्यान्वित किया गया। अंतरण योजना में दिल्ली विद्युत बोर्ड के कार्यों को विभाजित करने तथा दिल्ली विद्युत बोर्ड की विद्यमान पारेषण आस्तियां दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड को और वितरण आस्तियां तीन वितरण कंपनियों को अंतरित करने की व्यवस्था दी गई। आगे इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन, राजघाट पावर हाउस तथा गैस टरबाइन पावर स्टेशन में दिल्ली विद्युत बोर्ड की सभी आस्तियां, देयताएं अधिकार और हित आईपीजीसीएल को अंतरित किए गए थे।

इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल) के तीन विद्युत संयंत्र हैं, जिनमें दो प्रचालनीय हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

1 राजघाट पावर हाउस (आरपीएच) में कोयला आधारित 67.5 मेगावाट प्रत्येक की दो इकाइयों के साथ कुल क्षमता 135 मेगावाट है। इस स्टेशन की स्थापना वर्ष 1989–90 में की गई थी। पर्यावरण बाध्यताओं के दृष्टिगत यह स्टेशन निकट भविष्य में बंद किया जाना प्रस्तावित है।

2. गैस टरबाइन पावर स्टेशन (जीआईपीएस) में एनजी/आरएलएनजी ईंधन के उपयोग वाली 30 मेगावाट की छह गैस टरबाइन और 30 मेगावाट की कम की गयी क्षमता की तीन वेस्ट हीट रिकवरी स्टीम टरबाइन के साथ कुल क्षमता 270 मेगावाट है। स्टेशन की गैस टरबाइन की स्थापना वर्ष 1985–86 में दिल्ली की अधिक मांग होने के कारण उस समय की मांग पूर्ति हेतू की गई थी। स्टेशन 1996 में स्टीम टरबाइनों द्वारा पुनःसज्जित किया गया था।

अन्य संयंत्र, इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन (आईपी) की कुल क्षमता कोयला आधारित 60 मेगावाट की एक इकाई और 62.5 मेगावाट प्रत्येक की तीन इकाइयों के साथ 247.5 मेगावाट थी, यह स्टेशन 31.12.2009 को बंद किया जा चुका है। संयंत्र निपटान के अधीन है।

अध्याय 2 : निवेदन

इस अध्याय मे माननीय आयोग के समक्ष की गई प्रार्थनाओं के समर्थन में निवेदन के प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।

2.1 निवेदन योजना

1. आईपीजीसीएल इस याचिका के समर्थन में माननीय आयोग के समक्ष निम्नानुसार निवेदन करने का प्रस्ताव करता है:

    - आईपीजीसीएल के स्टेशनों के लिए प्रचालन मापदंड
    - आई.पी. स्टेशन के लिए चर लागत
    - पूंजी जोड़ने पर वास्तविक व्यय का समायोजन तथा आईपीजीसीएल के केन्द्रों के लिए विविध लागतों पर इसके प्रभाव
    - विद्युत के लिए विशेष न्यायालय के आदेश के आधार पर आईपी केन्द्र के लिए प्रभाव सहित आईपीजीसीएल के केन्द्रों के लिए वित्तीय पैरामानक
    - प्रार्थना

उपरोक्त प्रत्येक के संबंध में विस्तृत निवेदन अनुवर्ती अध्याय में दिया गया है।

2.2 निवेदनों का संक्षिप्त विवरण

यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता माननीय आयोग द्वारा निर्धारित कई प्रचालनात्मक पैरामानकों की पूर्ति नहीं कर सकता क्योंकि ये नियंत्रण के बाहर हैं। विद्युत खपत, उपलब्धता, स्टेशन ऊष्मा दर तथा प्रचालन एवं रखरखाव लागतों के संबंध में प्रचालन प्रतिमानों की पूर्ति नहीं करने हेतु विस्तृत कारण और औचित्य याचिका में दिए गए हैं। याचिकादाता ने प्रतिमानों की पूर्ति नहीं किए जाने के बारे में आने वाली कठिनाइयों के विषय में अपने पिछले निवेदनों में भी माननीय आयोग का ध्यान आकृष्ट किया है। याचिकादाता माननीय आयोग से वर्तमान टैरिफ याचिका पर विचार के समय निम्नलिखित तथ्यों पर सम्यक विचार करने का अनुरोध करता है:

- आईपीजीसीएल के स्टेशन अपेक्षाकृत पुराने होने के कारण अनुमोदित तकनीकी और वित्तीय प्राचलक हासिल नहीं कर सकते हैं। आईपी स्टेशन राष्ट्रीय राजधानी के

उपभोक्ताओं की लगभग 43 वर्ष की सेवा के पश्चात 31.12.2009 को बंद कर दिया है। राजघाट पावर हाउस भी निकट भविष्य में बंद किए जाने हेतु प्रस्तावित है। पावर स्टेशनों के निष्पादन प्राचलकों पर उम्र का प्रभाव केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग सहित विभिन्न विनियामक आयोगों द्वारा स्वीकार किया गया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी जेनरेशन स्टेशनों के निष्पादन प्राचलकों पर उम्र के प्रभाव को अपरिहार्य माना है तथा किसी भी पुराने संयंत्र हेतु प्रचालकों का अनुमोदन करते समय वास्तविक निष्पादन कमानों पर आधारित उदार प्रतिमानों की सिफारिश की है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आगे स्वीकार करता है कि एक तापीय विद्युत केंद्र की प्रचालन दक्षता या ऊष्मा दर और अन्य निष्पादन प्रचालक अनेक घटकों पर निर्भर होते हैं, जो मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैंः–

क) प्रौद्योगिकी और उपकरण

ख) परिवेशी स्थितियां

ग) ईंधन की गुणवत्ता

घ) संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियां

ङ) संयंत्र का आकार

आगे, राष्ट्रीय टैरिफ नीति में प्रावधान किया गया है कि ***"ऐसी स्थिति में जहां प्रचालन कई वर्षों से प्रतिमानों से काफी कम रहे हैं, राजस्व निर्धारण और सुधार प्रक्षेपपथ के निर्धारण में शुरूआती प्रारंभिक बिंदु "वांछित स्तर" नहीं बल्कि "कमतर" स्तरों पर स्वीकृत किए जाने चाहिए।''***

- याचिकादाता आगे निवेदन करता है कि आईपीजीसीएल पहले ही कर्मचारी लागत कम करने हेतु प्रयासरत है। कंपनी में बड़ी संख्या में कर्मचारीं दिल्ली विद्युत बोर्ड आने की वजह से वेतन बिल में भारी वृद्धि के बावजूद कंपनी द्वारा जनशक्ति लागत न्यूनतम करने हेतु प्रयास किए गए हैं। इस प्रयास के तहत 2003 में 383 कर्मचारियों, वि.वर्ष 2007–08 में 101 कर्मचारियों और वि.वर्ष 2009–10 में 328 कर्मचारियों को स्वेक्षित सेवानिवृत की जा चुकी है।
- यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय आयोग द्वारा प्रदत्त वार्षिक आधार पर 4 प्रतिशत का वृद्धि कारक अवधि के दौरान 8 प्रमशित की वास्तविक वृद्धि सूची की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है।
- वर्तमान काल में याचिकादाता की कुल विद्युत उत्पादन 11 इकाइयां हैं जिनकी कुल संस्थापित क्षमता 405 मेगावाट है। इस प्रकार, इकाइयों के छोटे आकार और विभाजन के समय खस्ताहाल में अधिग्रहण किए जाने के कारण मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

अपेक्षाकृत अधिक होगी। मरम्मत एवं अनुरक्षण के परिणामस्वरूप उपयोग क्षमता में सुधार होता है और आगे स्टेशन के प्रचालन प्राचलकों में सुधार होगा।

- यह प्रस्तुत किया जाता है कि आईपी केन्द्र पहले ही 31.12.2009 को बंद हो चुका है। आयोग द्वारा अनुमत संचायमान मूल्यन्यूनकरण अवधि सामान्य दर नियम 2007 के साथ वास्तविक लागत के 90 प्रतिशत के समकक्ष नहीं थे। याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से नियमों के अनुसार वास्तविक पूंजी लागत के 90 प्रतिशत तक मूल्य कम करने की अनुमति देने का तथा विचार करने का अनुरोध किया है।
- यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक पूंजी में अतिरिक्त जोड़ किए हैं। माननीय आयोग आरपीएच तथा जीटीपीएस के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2011 – 12 से अतिरिक्त पूंजी को अनुमोदित कर चुका है। कंपनी ने ईआरपी के क्रियान्वयन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन ले लिया है। कंपनी को व्यय की पूर्ति करने के लिए तथा कंपनी के सुगम परिचालन के लिए अनुमोदित योजनाओं के अतिरिक्त कुछ पूंजी व्यय करने की आवश्यकता थी।
- माननीय विद्युत अपीली न्यायाधिकरण भी वि.वर्ष 2006–07 हेतु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 81/2007 में अनेक मुद्दों पर आईपीजीसीएल के पक्ष में व्यवस्था दे चुका है। आयोग भी माननीय विद्युत अपीली न्यायाधिकरण के अभिमत को स्वीकार कर चुका है तथा वि.वर्ष 2006–07 हेतु आवश्यक राहत की अनुमति प्रदान कर चुका है। आयोग द्वारा प्रतिमानों में शिथिलता के संबंध में इन सिद्धांतों को वि.वर्ष 2007–08 से वि.वर्ष 2010–11 तक की अवधि हेतु बहुवर्षीय टैरिफ के समीक्षा आदेश में प्रभाव नहीं दिया गया है तथा वि.वर्ष 2007–08 से वि.वर्ष 2010–11 तक की अवधि हेतु टैरिफ के यथातथ्यीकरण के समय पर विचार किया जाना चाहिए।
- माननीय विद्युत अपीली न्यायाधिकरण वि.वर्ष 2007–08 से वि.वर्ष 2010–11 तक की नियंत्रण अवधि हेतु दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 26/2008 में अपने आदेश दिनांक 7 अप्रैल, 2011 में प्रचालन एवं रखरखाव लागत, कोयला परिवहन हानि, परिवर्तनीय तथा अन्य आईपी स्टेशन लागत के संबंध में आईपीजीसीएल को अनेक राहत प्रदान कर चुका है। माननीय आयोग आरपीएच तथा जीआईपीएस के लिए वि.वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ निर्धारित करते समय अपने आदेश दिनांक 26.08.2011 में छठे वेतन आयोग के प्रभाव के कारण राहत की अनुमति प्रदान कर चुका है, तथापि इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन तथा अन्य पहलुओं के संबंध में राहत अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है। माननीय आयोग ने दिनांक 26.11.2012 में अपने समीक्षा

आदेश में दिनांक 26.08.2011 के दर आदेश की समीक्षा के लिए याचिका में ध्यान दिया है कि आईपी केन्द्र के सभी व्यय, व्ययों के संशोधन सहित, संशोधित परिचालन लागतों के आधार पर नियंत्रण अवधि के अंत में जोड़े जाएंगे। इस प्रकार माननीय आयोग ने नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक के लिए वर्तमान समायोजन कार्य के दौरान माननीय एटीई के आदेश के सिद्धांतों के क्रियान्वयन का अनुरोध किया है।

- माननीय आयोग ने बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांत वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक से अगले वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विस्तारित किए हैं। यह निवेदन किया जाता है कि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तें), विनियमावली, 2009 जारी की है। केंद्रीय आयोग ने विनियमावली में अनेक प्राचलकों में संशोधन किए है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग बहुवर्षीय टैरिफ विनियम वर्ष 2007 में वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक की नियंत्रण अवधि के लिए बनाए गए थे। यह समझा जा सकता है कि विभिन्न परिस्थितियां और लागू सिद्धांत बदल चुके हैं। अतः बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली में वर्णित सिद्धांत वि.वर्ष 2011–12 हेतु लागू नहीं किए जा सकते हैं। टैरिफ संबंधी प्रावधानों में राज्य विद्युत विनियामक आयोग (राज्य विद्युत विनियामक आयोग) का मार्गदर्शन राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा। यह निवेदन किया जाता है कि बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्धांत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विस्तारित किया जाना कई पहलुओं से कंपनी के हितों के लिए नुकसानदायक था। यह प्रार्थना की जाती है कि वि. वर्ष. 2011–12 हेतु प्रतिमानों पर वर्तमान परिस्थितियों एवं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की नई विनियमावली के आलोक में पुनरविचार किया जाए।
- माननीय आयोग ने नियंत्रण अवधि 2010 – 11 के लिए परिचालन तथा निगरानी व्यय वित्तीय वर्ष 2005 – 06 तथा 2006 – 97 के परिचालन तथा निगरानी व्यय के अनुसार निर्धारित किए है। जबकि परिचालन तथा निगरानी व्ययों को निर्धारित करने के संबंध में एमवाईटी नियम 2007 कहता हैः

  "6.30 वर्तमान उत्पादन केन्द्रः निवेदक आयोग द्वारा आवश्यक सभी परिचालन तथा निगरानी व्ययों के विवरण प्रस्तुत करेगा। वर्ष के लिए परिचालन तथा निगरानी व्यय अत्याधुनिक लेखों/ वास्तविक, सम्बंधित वर्षों के लिए उत्पादन कंपनियों के अनुमान तथा अन्य सम्बंधित कारकों के आधार पर निर्धारित किए जाएंगे।

  बाद में अवधि के लिए परिचालन तथा निगरानी व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 को बेस वर्ष मानते हुए दर आदेश दिनांक 26.08.11 में संशोधित किए गए तथा छठे वेतन आयोग की वृद्धि का संशोधन भी जोड़ा गया। यह बताना आवश्यक है कि एमवाई नियम 2007 अनुमानित परिचालन तथा निगरानी व्ययों के लिए विचार के लिए प्रदान करता है। इस

प्रकार नियंत्रण अवधि के लिए अनुमानित परिचालन तथ निगरानी याचिकाकर्ता के हित को प्रभावित करेगी।

- यह प्रस्तुत किया गया नियंत्रण अवधि के दौरान स्फीति दर लगभग 8 प्रतिशत थी। माननीय आयोग ने वृद्धि कारक को कथित अवधि के लिए केवल 4 प्रतिशत ही माना है जो कि स्फीती सूची का आधा है। इस लिए माननीय आयोग से परिचालन तथा निगरानी व्यय को 8 प्रतिशत के वृद्धि कारक के साथ समायोजित करने का अनुरोध किया जाता है।

- याचिकादाता माननीय आयोग से इसके नियंत्रण से बाहर व्यावहारिक कठिनाइयों तथा बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2007 के अनुच्छेद 7.5, 12.4 तथा 12.8 के अधीन याचिका में अनुरोध किए गए प्रचालन तथा वित्तीय प्राचलकों पर विचार करने तथा छूट प्रदान करने का अनुरोध करता है। विनियमावली के प्रासंगिक अनुच्छेद जहां छूट की मांग की हैं, यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किए जा रहे हैं :

बहुवर्षीय टैरिफ विनियमावली, 2007 के अनुच्छेद

"7.5 आयोग शिथिलकृत प्रचालन प्रतिमान निर्धारित कर सकता है जिसमें उत्पादन केंद्रों हेतु इन विनियमों में लक्ष्य उपलब्धता एवं पीएलएफ के प्रतिमान शामिल हैं तथा ये शिथिलकृत प्रतिमान ऐसे उत्पादन केंद्रों के लिए नियंत्रण अवधि के दौरान टैरिफ निर्धारण के लिए लागू होंगे।

शिथिलन का अधिकार

12.5 आयोग जनहित में लिखित कारण प्रस्तुत करते हुए, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकता है।

संशोधन का अधिकार

12.8 आयोग लिखित कारण प्रस्तुत करते हुए, किसी भी समय संशेधन द्वारा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को परिवर्तित, संशोधित या सुधार कर सकता है।''

- **याचिकादाता आईपीजीसीएल को किसी अतिरिक्त अंर्तराज्य पारेषण क्षतियों तथा चक्रण प्रभारों के बिना भार केंद्र में प्रचालन, ग्रिड स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु एक भरोसेमंद स्टेशन के रूप में सेवा की क्षमता प्रदान करने के लिए माननीय आयोग से एक उदार एवं शिथिल दृष्टिकोण अपनाने की प्रार्थना करता है।**

अध्याय 3: चर एवं स्थायी लागत का अनुमान

3.1 चर लागत का प्राक्कलन

3.1.1 प्रचालन हेतु नियम

याचिकाकर्ता ने वि.वर्ष. 2007–08 से वि.वर्ष. 2011–12 के लिए वास्तविक प्रदर्शन मापदंड को विचार में लिया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि परिचालन संबंधी मानदंडों जैसे ताप दर और सहायक विद्युत खपत जैसा कि माननीय आयोग द्वारा पूराने स्टेशनों के लिए निर्धारित है, उन्हें प्राप्त करना मुश्किल था। स्टेशन, वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान माननीय आयोग द्वारा तय परिचालन मानदंडों को प्राप्त नहीं कर सके। परिचालन मानदंडों की अप्राप्ति सीधे कंपनी की वित्तीय अवस्था को प्रभावित कर रही है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि टैरिफ नीति भी प्रायोगिक और प्राप्य मापदंडों की बात करेगी।

समान रूप से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने नियंत्रण अवधि वि.वर्ष. 2009–10 से वि.वर्ष. 2013–14 के लिए टैरिफ के निबंधन और शर्तों को तय करने हेतु कारणों के कथन में यह उल्लेख किया है कि टैरिफ नीति के उपबंधों के आलोक में, आयोग का प्रयास है कि जहां तक व्यावहारिक और संभव है, लाभार्थियों एवं साथ ही उत्पादकों (जेनेरेटरों) के हितों को संतुलित करने वाले न्यायपूर्ण व उचित मानदंड निर्धारित किए जाएं। टैरिफ नीति से संबंधित उद्धरण निम्नानुसार हैः–

> *"उपभोक्ताओं के साथ कुशल प्रचालनों के लाभों को बांटने के लिए समुचित व्यवस्था के साथ–साथ, प्रोत्साहनों और गैर–प्रोत्साहनों के साथ प्रचालन के उपयुक्त निष्पादन मानदंड विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी। पैरा 5.3 (ज) (2) में उल्लिखित मामलों के अलावा, टैरिफों में प्रचालन मानदंड केवल "मानकीय स्तरों" पर होने चाहिए न कि "मानकीय और वास्तविक में जो निम्न हो" उस पर। यह बेहतर प्रचालन निष्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य है। मानदंड कुशल, पूर्व निष्पादन से संबंधित, उपलब्धि प्राप्त करने में सक्षम और प्रगामी रूप से वर्धित कुशलताओं को दर्शाने वाले होने चाहिए और इनमें नवीनतम प्रौद्योगिकीय प्रगतियों, ईंधन, उपकरणों के निर्माण वर्ष, प्रचालनों के स्वरूप, उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा के स्तर, इत्यादि को भी विचार्थ लिया जा सकता है। निरंतर और प्रमाणित अकुशलता को नियंत्रित और दंडित किया जाना चाहिए।*
>
> *केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के परामर्श से, उत्पादन और पारेषण के लिए समय–समय पर प्रचालन मानदंडों को अधिसूचित करेगा।*राज्य विद्युत

विनियामक आयोग *इन मानदंडों को अपनाएगा। ऐसे मामलों में जिनमें प्रचालन पूर्व कई वर्षों से मानदंडों से अत्यधिक निम्न रहे हैं, राज्य विद्युत विनियामक आयोग उपयुक्त रूप से छूट दिए गए मानदंड निर्धारित कर सकता है और केन्द्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों को प्राप्त करने के लिए समय के साथ एक क्रमिक परिवर्तन पथ तैयार कर सकता है।*

5.3 (ज) (2) ऐसे मामलों में जहां प्रचालन पूर्व कई वर्षों में मानदंड से अत्यधिक निम्न रहे हैं, राजस्व अपेक्षा और सुधार किए जाने के पथ को निर्धारित करने हेतु प्रारंभिक आरंभ बिन्दु को "छूट दिए गए" स्तरों पर, न कि "वांछित" स्तरों पर पहचाना जाना चाहिए। "वांछित" निष्पादन मानदंडों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त मानदंड–निर्धारक अध्ययन किए जा सकते हैं। न्यूनतम सेवा मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजीगत व्यय का आकलन करने हेतु प्रत्येक सेवा के लिए पृथक अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है।

आयोग का दृष्टिकोण वास्तविक निष्पादन स्तर, स्टेशनों की आयु, अंतर्निहित प्रोत्साहन और गैर–प्रोत्साहन व्यवस्था के साथ पर्याप्त प्रचालनीय लचीलापन प्रदान किए जाने को सम्यक रूप से विचाराधीन लेते हुए विद्यमान स्टेशनों के मामले में पूर्व निष्पादन से संबंधित, प्रौद्योगिकी और ईंधन प्रकार के आधार पर स्पष्ट प्रचालन मानदंड रखने का है।''

साथ ही, माननीय केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के विद्युत स्टेशनों के परिचालन मानदंड निर्धारण के लिए हमेशा प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाया है। यह तथ्य आसानी से साबित किया जा सकता है कि सीईआरसी ने परिचालन मानकों के निर्धारण के दौरान निम्नांकित सिद्धान्तों पर विचार किया।

1) आयोग ने 2004–05 से 2007–08 की अवधि के लिए कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के वास्तविक निष्पादन को विधिवत विचाराधीन लेते हुए उपर्युक्त मानदंड प्रस्तावित किए थे।

2) ईंधन की कम आपूर्ति, किसी प्रचालनीय आकस्मिकता, ईंधन गुणवत्ता में गिरावट इत्यादि के मामले में प्रचालनीय लचीलेपन की संभावना रखना।

3) एक बहुत उच्च निष्पादन मानदंड भी इस क्षेत्र में नए निवेश को हतोत्साहित कर सकता है क्योंकि विनियमित व्यवस्था में उनके लिए विनिर्दिष्ट उच्च निष्पादन प्राप्त नहीं करने के लिए किसी भी जोखिम को कम करना कठिन हो सकता है।

4) आयोग ने प्रचालनीय लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए इस अवधि के दौरान औसत निष्पादन पर विचार किया है।

5) आयोग ने स्टेशनों को पेश आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार किया है।

तदनुरूप, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से अनुरोध करता है कि प्रौद्योगिकीय पुरातनता, स्टेशनों की आयु और माननीय केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विचार किए गए उपर्युक्त उल्लिखित सिद्धांतों जैसे कारकों पर विचार करते हुए वि.वर्ष. 2007–08 से वि.वर्ष. 2011–12 की अवधि के लिए प्रचालनीय लक्ष्यों को निर्धारित करते समय नरम और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। उपरोक्त डीईआरसी विनियामें से संबंधित उद्देश्यों और कारणों के कथन के संबंधित उद्धरण की प्रति **अनुलग्नक–ए** के रूप में संलग्न एवं चिन्हित है।

उपलब्धता

आईपीजीसीएल के विभिन्न स्टेशनों के लिए वास्तविक और प्रस्तावित उपलब्धता मानदंड निम्नलिखित तालिका 1 में संक्षेप में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1: उपलब्धता

उत्पादक स्टेशन	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
आईपी पावर स्टेशन	45.63%	42.64%	33.43%	-	-
राजघाट पावर स्टेशन	73.5%	71.89%	54.64%	75.98%	68.37%
गैस टरबाइन	60.98%	70.14%	73.28%	81.91%	79.41%

इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन

इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन के लिए लक्षित उपलब्धता पूर्ण निर्धारित लागत की वसूली के लिए 45% के स्तर पर स्वीकृत की गई। यह स्टेशन 40 वर्ष से ज्यादा पुराना था और इसे 31.12.2009 को बंद कर दिया गया है। यह संयंत्र बार–बार खराब हो जाता था और इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध थी। बंद कर दिए जाने की संभावना के कारण कोई भी मरम्मत और अनुरक्षण कार्य नहीं किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादक संयंत्र पूर्णतः कार्य करना बंद नहीं कर दे, केवल आवश्यकता आधारित अनुरक्षण कार्य किया गया। यह स्टेशन वि.वर्ष 2007–08 के दौरान 45% से अधिक की उपलब्धता प्राप्त कर सका। तथापि, यह वि.वर्ष. 2008–09 के दौरान केवल 42.64% और वि.वर्ष. 2009–10 के दौरान (अक्तूबर 2009 तक) केवल 33.43% का उपलब्धता गुणक प्राप्त कर सका। यह निवेदित है कि स्टेशन की अधिक आयु के बावजूद, आईपीजीसीएल पूर्व–सक्रिय, सतत और नियमित अनुरक्षण से इन स्तरों का उत्पादन बनाए रखने में सफल रहा है।

आईपीजीसीएल यह बात ध्यान में लाना चाहेगा कि आईपीजीसीएल ने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार पूर्व में दिनांक 31.03.2009 को इस स्टेशन को बंद कर देने का निर्णय लिया था। किंतु, दिल्ली राज्य में विद्युत संकट के कारण, माननीय आयोग ने अपनी दिनांक 24.03.2009 की बैठक में आईपीजीसीएल को 31.03.2009 के बाद भी इस स्टेशन को चलाते रहने का सुझाव दिया और उत्पादन की वास्तविक लागत के लिए स्टेशन की क्षतिपूर्ति करने का आश्वासन दिया।

माननीय विद्युत अपील अधिकरण ने वि.वर्ष. 2007–08 से वि.वर्ष. 2010–11 के लिए दिए गए बहुवर्षीय टैरिफ टैरिफ आदेश के विरूद्ध आईपीजीसीएल द्वारा दायर अपील सं. 26/2008 में उपलब्धता के संबंध में अपने दिनांक 07.02.2011 के आदेश में निम्नलिखित विनिर्णय दिया हैः

> ***14.*** **"वर्तमान मामले में, इंद्रप्रस्थ स्टेशन 38 वर्षों से अधिक पुराना है और बंद होने के कगार पर है। वास्तव में, यह विद्युत संयंत्र वर्ष 2009–10 में बंद हो गया है। इसके मद्देनज़र, इस संयंत्र का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं था और केवल आवश्यकता आधारित अनुरक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे थे कि संयंत्र बंद होने की निर्धारित तारीख से पहले पूर्णतः कार्य करना बंद नहीं कर दे। हमारी राय में, इस मामले की परिस्थितियां इंद्रप्रस्थ स्टेशन के लिए उपलब्धता के मानदंडों में छूट देने का औचित्य ठहराती है। तदनुसार, राज्य आयोग को विनियमों के अधीन छूट देने की इसकी शक्ति का प्रयोग करके इस मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाता है।"**

चूंकि, ये परिस्थितियां आईपीजीसीएल के नियंत्रण से परे थीं, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से मानदंडों में छूट देने और पूर्ण निर्धारित लागत की वसूली के लिए वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिए स्टेशन द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धता के अनुसार इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन की उपलब्धता को यथार्थपूर्ण बनाने का अनुरोध करता है।

राजघाट पावर हाउस

याचिकाकर्ता यह निवेदन करता है कि राजघाट पावर हाउस ने वि.वर्ष. 09–10 के दौरान लक्षित मान को छोड़कर, वि.वर्ष. 07–08, वि.वर्ष. 08–09, वि.वर्ष 10–11 और वि.वर्ष 11–12 के लिए माननीय आयोग द्वारा निर्धारित 70% की लक्षित उपलब्धता प्राप्त की है। इस संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि राजघाट पावर हाउस की दोनों इकाइयों को योजनाबद्ध रूप से बंद किए जाने को माननीय आयोग और दिल्ली विद्युत उत्पादन समन्वय समिति की वाणिज्यिक उप समिति द्वारा दिल्ली के उपभोक्ताओं के हित में

अस्थगित कर दिया गया। इकाई सं. 2 की निर्धारित बंदी को 126 दिनों के लिए और इकाई सं. 1 को 290 दिनों के लिए अस्थगित कर दिया गया। अतः, वि.वर्ष. 2009–10 के दौरान, संयंत्र इष्टतम स्तर से नीचे के स्तर पर प्रचालित हुआ जिससे उपलब्धता में कमी आई।

उसके पश्चात, आईपीजीसीएल के अनुरोध पर माननीय आयोग ने इसके पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन के तहत, वि.वर्ष. 2009–10 के लिए स्टेशन द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धता पर पूर्ण निर्धारित लागत की वसूली की पहले ही अनुमति दे दी है। दिनांक 05.01.2011 के पत्र की प्रति **अनुलग्नक–बी** के रूप में संलग्न एवं चिन्हित ळें

गैस टरबाइन पावर स्टेशन

वि.वर्ष. 2007–08 से वि.वर्ष. 2011–12 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान स्टेशन द्वारा प्राप्त की गई वास्तविक उपलब्धता निम्नानुसार हैः–

तालिका 2 : जीटीपीएस की उपलब्धता (%)

वि. वर्ष	उपलब्धता **(%)**
2007-08	60.98%
2008-09	70.14%
2009-10	73.28%
2010-11	81.91%
2011-12	79.41%

यह स्टेशन वि.वर्ष. 2008–09 से 70% की लक्षित उपलब्धता प्राप्त करने में सक्षम रहा। स्टेशन ने वि.वर्ष. 2007–08 में 60.98% की निम्न उपलब्धता प्राप्त की है। इस संबंध में, यह बताया जाता है कि स्टेशन की एसटीजी ईकाई सं. 2 टरबाइन रोटार की गैर–उपलब्धता के कारण दिसंबर, 2006 से 22 माह की अवधि के लिए सेवा में नहीं था। मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल द्वारा हैदराबाद में इसकी कार्यशाला में टरबाइन रोटार की मरम्मत की जा रही थी। बीएचईएल समय पर पुर्जों को प्रदान नहीं कर सका। गैस टरबाइन की अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्ग्रहण इकाइया इसके कार्य प्रारंभ करने से विनिर्माता द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं। यह संयंत्र अत्यधिक गैस अभाव, गेल द्वारा अधिरोपित दैनिक कटौतियों और बार–बार होने वाली ग्रिड विफलता (ट्रिपिंग) का सामना कर रहा है। आईपीजीसीएल को पेश आ रही बाधाओं के मद्देनज़र गैस विद्युत स्टेशन के लिए संयंत्र भार गुणांक (इकाई भार गुणांक)/उपलब्धता निर्धारित की गई है। माननीय आयोग यह स्वीकार करेगा कि ये परिस्थितियां आईपीजीसीएल के नियंत्रण से परे थीं। स्टेशन ने वि.वर्ष. 2007–08 के दौरान 60.98% की उपलब्धता प्राप्त की है। स्टेशन ने गैस अभाव के मद्देनज़र दो गैस टरबाइनों का द्रव ईंधन के उपयोग हेतु परिवर्तन के कारण वि.वर्ष. 2008–09 से आगे की अवधि के दौरान 70% की लक्षित उपलब्धता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की।

याचिकाकर्ता ने, अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए संपूर्ण स्थायी लागत की प्राप्ति के लिए 60.98% की उपलब्धता को स्तर पर लाने के लिए माननीय आयोग से अपने छूट देने की शक्ति को उपयोग में लाने का प्रार्थना किया। यह इंगित किया गया है कि स्थायी लागत, कम उपलब्धता के कारण 13 प्रतिशत तक अप्राप्य थे।

स्टेशन टैरिफ

नियामक टैरिफ के सामने आईपीजीसीएल के विभिन्न स्टेशन के लिए वास्तविक स्टेशन टैरिफ मापदंड निम्नलिखित तालिका 3 में संक्षेपित किए गए हैं।

तालिका 3 : आईपीजीसीएल स्टेशनों के लिए स्टेशन टैरिफें (कि.कै./कि.वा.घंटा)

स्टे. टैरिफ (कि.कै./कि. वा.घंटा)	नियामक टैरिफ	2007-08 वास्तविक	08-09 वास्तविक	09-10 वास्तविक	10-11 ास्तविक	11-12 वास्तविक
आईपी पावर स्टेशन	3235	3767	3650	3877	-	
राजघाट पावर स्टेशन	3200	3227	3304	3849	3279	3175
जीटी पावर स्टेशन (संयुक्त चक्र)	2450	2554	2553	2557	2504	2463
जीटी पावर स्टेशन (खुला चक्र)	3125	3416	3397	3390	3394	3391

यह प्रस्तुत किया गया कि मशीनों की अवधि अधिक हो जाना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे संयंत्र तकनीकी बाध्यताओं के कारण अपनी पूर्ण अनुपातिक क्षमता से संचालन करने की स्थिति में नहीं होते हैं। इससे स्टेशन टैरिफ के साथ–साथ आंतरिक विद्युत उपभोग पर प्रभाव पड़ता है।

इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशनः

माननीय आयोग ने इंद्रप्रस्थ विद्युत उत्पादन गृह स्टेशन द्वारा प्राप्य स्तर से पूर्णतया निम्न स्तरों की केन्द्र टैरिफ का इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन के लिए अनुमोदन किया है।

स्टेशन 40 वर्ष से भी अधिक पुराना है तथा 31–12–2009 को बंद कर दिया गया है। संयंत्र में निरंतर खराबियां होती रहती थीं तथा इसकी विश्वसनीयता भरोसे लायक नहीं थी। संभावित बंद होने की योजना के कारण विगत में मरम्मत और रख–रखाव का कोई बड़ा कार्य नहीं कराया गया था। संयंत्र को कार्यचालित रखने के लिए केवल आवश्यकता आधारित रखरखाव ही किया गया। इन कारकों के कारण

स्टेशन की उपलब्धता/ निम्न स्तरों पर रही, जिसके परिणास्वरूप ऊष्मा दर उच्च हो गई। टैरिफ को कम करने के सभी अथक प्रयासों के बावजूद, स्टेशन निम्नलिखित ऊष्मा दर प्राप्त कर पायाः

तालिका 4 : आई.पी. स्टेशन की वास्तविक ऊष्मा दर

	2007-08	2008-09	2009-10
टैरिफ (कि.कै./कि.वा.घंटा)	3767	3650	3877

याचिकाकर्ता माननीय आयोग के ध्यानार्थ लाना चाहता है कि आईपीजीसीएल ने निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार पूर्व में स्टेशन को 31–3–2009 को बंद करने का निर्णय लिया था। तथापि दिल्ली में विद्युत संकट के कारण माननीय आयोग ने 24–3–2009 को सम्पन्न अपनी बैठक में आईपीजीसीएल को 31.3.2009 के बाद भी स्टेशन को चलाते रहने का सुझाव दिया और उत्पादन की वास्तविक लागत की क्षतिपूर्ति करने की सहमति दी।

आईपीजीसीएल कहना चाहता है कि स्टेशन टैरिफ का अनुमोदन करते समय अन्य राज्य विद्युत विनियामक आयोगों ने उत्पादक संयंत्र की अवधि एवं दशा पर विचार किया है। आईपीजीसीएल माननीय आयोग के ध्यानार्थ लाना चाहता है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने फरीदाबाद स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2007–2008 में 4000 कि.कै./कि.वा.घंटा की स्टेशन टैरिफ का अनुमोदन किया है जो आई. पी. स्टेशन द्वारा प्राप्त स्टेशन टैरिफ से अधिक है।

यह जान लेना आवश्यक है कि आई.पी. स्टेशन की समयावधि बहुत पुरानी थी। इस प्रकार आई.पी. स्टेशन की इकाइयां अपने उपयोगी काल से अधिक तक चल गई हैं। ये पुरानी इकाइयां आदर्श स्तर तक संचालित किए जाने की स्थिति में नहीं थी। अनेक बाध्यताएं इन स्टेशनों के आदर्श क्षमता संचालनों में रूकावट डालती हैं जैसे सीमित क्षमता से अधिक संचालित किए जाने से बॉयलर ट्यूब रिसने लगती है। विनिर्माता ने भी टरबाइन ब्लेडों और टरबाइन रोटरों की खराब दशा के कारण सभी इकाइयों के टरबाइनों पर भार को सीमित कर दिया था।

माननीय विद्युत अपीलीय अधिकरण ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ आदेश के वित्तीय वर्ष 2006–07 के आदेश के विरूद्ध अपील सं. 81/2007 में अपने दिनांक 10–1–2008 के आदेश में निम्नानुसार निर्णय दिया हैः–

"12) टैरिफः याचिकाकर्ता आई.पी. स्टेशन के लिए जो कि 38 वर्ष पुराना है अभिकल्प टैरिफ प्रस्तुत नहीं कर सका। स्टेशन टैरिफ के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदण्ड अभिकल्प टैरिफ पर आधारित हैं। इसलिए आयोग आईपीटीपीए स्टेशन की स्टेशन टैरिफ के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदण्ड नियोजित नहीं कर सकता था। तदनुसार आयोग ने 3235 कि. कै/कि.वा.घंटा का अनुमोदित आंकड़ा प्रतिधारित किया जो याचिकाकर्ता को 2004–05 की

वार्षिक वित्तीय याचिका सहित ट्रांस्को द्वारा प्रस्तुत प्रारूप विद्युत खरीद समझोते के अनुसार स्वीकार था। याचिकाकर्ता ने आयोग के समक्ष कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के निदेशों का पालन करने के लिए आईपीटीपी स्टेशन को बंद किया जाना प्रस्तावित था और इसी कारण उन्नयन हेतु अथवा यही स्टेशन टैरिफ बनाए रखने के लिए भी मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई व्यय नहीं किया गया। तर्क–वितर्क के दौरान हमें सूचित किया गया कि बंद करने का अंतिम निर्णय 2006–07 की समाप्ति के बाद लिया गया था। अंतिम समापन 2010 में होगा। इस स्थिति के दृष्टिगत आयोग के लिए यही उचित होगा कि उसी स्टेशन टैरिफ को ही वहन करें जो अपीलकर्ता की ऊपर लिखित अवधि के दौरान इस स्टेशन के लिए पूरा कर पाया है।"

माननीय विद्युत अपील अधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए बहुवर्षीय टैरिफ के टैरिफ आदेश के संबंध में आईपीजीसीएल द्वारा दायर अपील में दिनांक 07–4–2011 के अपने आदेश में परिचालन मानदंडों के संबंध में निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

> *"33. इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन की स्टेशन टैरिफ तथा आंतरिक ऊर्जा उपभोग के संबंध में स्टेशन को बंद करने के निर्णय तथा उपलब्धता मानंदडों की ढील पर हमारे निष्कर्ष के दृष्टिगत हमारा मत है कि यह मामला राज्य आयोग द्वारा अपने विनियमाधीन ढील देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मानदंडों में ढील देने का है।"*

परिस्थितियां याचिकाकर्ता के नियंत्रण में नहीं थी, इसलिए माननीय आयोग से निवेदन किया जाता है कि उपर्युक्त अनुरोधों के दृष्टिगत इंद्रप्रस्थ पावर **स्टेशन के लिए वर्ष 2007–08, 2008. 2009 तथा 2009–10 के दौरान स्टेशन द्वारा यथा प्राप्त की गई वास्तविक टैरिफ की अनुमति प्रदान करें।**

याचिकाकर्ता, माननीय आयोग की जानकारी में यह लाना चाहेगा कि इसने दिनांक 10.01.2008 की एटीई के आदेश के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए **3802 kCal/kWh** की ताप दर को इसके पहले ही अनुमति दे दी है।

राजघाट पावर हाउस :

माननीय आयोग ने 3200 कि.कै./कि.वा.घंटा की स्टेशन टैरिफ का अनुमोदन किया है जो स्टेशन द्वारा प्राप्य स्तर से नीचे है।

स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने माना है कि ऊष्मा आधीन विद्युत गृह की परिचालन दक्षता अथवा टैरिफ तथा अन्य निष्पादन प्राचल कई कारकों पर निर्भर करते है जिन्हें व्यापक रुप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः–-

क) प्रौद्योगिकी और उपकरण

ख) परिवेशी दशाएं

ग) ईंधन की गुणवत्ता

घ) संयंत्र संचालन तथा अनुरक्षण कार्य।

ङ) विद्युत गृह की इकाईयों का आकार

स्टेशन वर्ष 1989–90 में चालू हुआ और यह स्टेशन लगभग 22 वर्ष पुराना है। पर्यावरणीय माप दंडों को नहीं प्राप्त कर पाने के कारण निकट भविष्य में स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव है। अतः स्टेशन में मरम्मत और रखरखाव का कोई बड़ा कार्य नहीं कराया जा रहा है तथा केवल आवश्यकता आधारित रखरखाव ही कराया जा रहा है। यह तथ्य भी स्टेशन टैरिफ को प्रभावित कर रहा है। विद्युत अपील अधिकरण ने बंद होने वाले स्टेशनों के लिये शिथिल मानदंडों की आवश्यकता की पहचान की है। मानीय विद्युत अपीलीय अधिकरण ने याचिका सं. 26/2008 में अपने दिनांक 07.04.2011 के आदेश में उस समय बंद किए जाने के लिए प्रस्तावित कंपनी के इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन के लिए शिथिल टैरिफ तथा अतिरिक्त आंतरिक विद्युत उपभोग की आवश्यकता का पहले ही समर्थन किया है। आदेश के उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत हैः–

"33. इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन की स्टेशन टैरिफ तथा आंतरिक ऊर्जा उपभोग के संबंध में स्टेशन को बंद करने के निर्णय तथा उपलब्धता मानंदडों की ढील पर हमारे निष्कर्ष के दृष्टिगत हमारा मत है कि यह मामला राज्य आयोग द्वारा अपने विनियमाधीन ढील देने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मानदंडों में ढील देने का है।"

आगे यह निवेदन किया गया कि इकाइयों की स्टेशन टैरिफ निर्धारित करने के लिए कार्य–निष्पादन परीक्षण मैसर्स सेनपीप, एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा संचालित किया गया। परीक्षण निम्नलिखित शर्तों के अधीन संचालित किए गएः

क) परीक्षण से पूर्व तथा दौरान इकाई का प्रचालन दो धंटे तक स्थिर रखा गया।

ख) परीक्षण संभव सीमा तक प्रांरूपिक परिचालन प्राचलों पर अंकित भार पर संचालित किए गए।

ग) परीक्षण के दौरान भट्टी की प्राथमिकता गर्म करने के उपकरणों की राख को साफ नहीं किया गया।

घ) मुख्य भाप दाब तथा तापमान जहां तक संभव हो प्राथमिक हवा गर्म करने में उपकरणों के रखरखाव।

ङ) परीक्षण किए जाने वाली इकाई के लिए सहायक पीआरडी भाप प्रवाह पृथक रखा गया।

च) परीक्षण के दौरान भाप जनक निरंतर एवं आंतरिक पानी का बहाव बन्द रखा गया।

छ) आशंकित टयूब रिसाव के कारण परीक्षण के दैरान यूनिट 1 एचपी ऊष्मक 1 एवं 2 सेवा में थे। यूनिट 2 के सभी एफ डब्ल्यू ऊष्मक सामान्य रिसाव प्रपात के साथ सेवा में रखे गए।

ज) परीक्षण के दौरान कोई मिल बदलाव नहीं किया गया तथा परीक्षण बिना किसी तेल की सहायता से किया गया।

झ) इकोनोमाइजर की राख को नही निकाला गया।

ण) परीक्षण स्थिरीकरण अवधि से पूर्व तथा तत्पश्चात परीक्षण के तुरंत बाद भट्टी के नीचे की राख निकाली गयी।

उपर्युक्त दशाओं के अंतर्गत यूनिट 1 की इकाई टैरिफ 3050 कि.कै. / कि.वा. घंटा तथा यूनिट 2 की 3220 कि.कै. / कि.वा. घंटा है। उपर्युक्त दशाओं में औसत स्टेशन टैरिफ की संगणना 3135 कि.कै. / कि.वा.घंटा है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि इकाइयों की औसत टैरिफ निम्नलिखित दशाओं के कारण परीक्षण टैरिफ से उच्च होगीः–

- प्राचलों का विचलन (जैसे भाप दाब और तापमान)
- कोयले की गुणवत्ता में परिवर्तन
- राख धौंकनी, जल / भाप रिसाव, भट्टी से पानी की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए बीच–बीच में बहाव
- आंशिक लदान, यूनिट चालू करना / बंद करना।
- परिवेशी प्रचालन दशाओं में परिवर्तन (परिवेशी तापमान तथा ठंडा करने वाले पानी सी डब्लू के अंतर्गत तापमान)
- एक पूरी मरम्मत से अगली पूरी मरम्मत के बीच उपस्कर के कार्य–निष्पादन में ह्रास।

आरपीएच के निष्पादन के संबंध में सेनपीप रिपोर्ट की प्रति **अनुलग्नक–सी** पर संलग्न है।

आगे निवेदन किया जाता है कि 2007 की अपील सं. 86 और 87 में अपीलीय अधिकरण के निर्णय तथा केंद्रीय विद्युत अन्वेषण केन्द्र की रिपोर्ट तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंतिम यथार्थकरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड

के उत्पादन स्टेशनों के मामले में टैरिफ के संबंध में महाराष्ट्र राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी की गई:

प्राप्य टैरिफ के लिए केंद्रीय विद्युत अंवेषण केंद्र की कार्यप्रणाली और सिफारिशें

वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए प्राप्य टैरिफ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्रीय विद्युत अंवेषण केंद्र द्वारा अंगीकृत कार्यप्रणाली सीपीआईआर रिपोर्ट से यथा उद्धत रूप में नीचे पुनः प्रस्तुत की जाती है:–

"2.1 80% भार पर परिक्षण निष्पादन तथा परीक्षण टैरिफ"

सामान्य संचालन दशाओं पर परीक्षण प्रदर्शन की गणना शून्य पानी क्षतिपूरण के साथ प्रत्येक इकाई के लिए की जाती है।

2.2 खनिज रहित क्षतिपूरण द्वारा प्रस्तुत गैर–प्रयोजन अनुप्रयोगों में नष्ट भाप के कारण ऊष्मा उपभोग

खनिज रहित पानी की खपत इस ऊष्मा क्षति का द्योतक है जो प्रक्रिया से नष्ट भाप को दर्शाता है। सामान्य खनिज रहित जल क्षतिपूरण, मुख्य भाप प्रवाह का लगभग 3% होता है।

मिलीयन कैलेरी/ घंटा (Q) खनिज रहित जल क्षतिपूरण हेतु वार्षिक ऊष्मा उपभोग निम्ननत दिया गया है,

Q (मिलीयन कैलेरी/ घंटा) = {10–3 {खनिज रहित जल क्षतिपूरण (%) मुख्य भाप प्रवाह 8% भार (kg/h)* (ऊ.भा–ऊ.जल) (किलोकैलरी/कि.ग्रा.)/बॉयलर दक्षता = 0.84)}*

मेगावाट में उत्पादित शक्ति (80 %इकाई भार गुणांक मानते हुए) (ई) दी गई है,

शक्ति (मेगावाट) = इकाई क्षमता x 0.8

चक्रीकरण और असामान्य संचालनों के कारण टैरिफ घटक दिया गया है, ***खनिज रहित जल क्षतिपूरण के कारण वार्षिक टैरिफ घटक = ऊ.द.भाप = [क/प]***

2.2 चक्रीकरण/असामान्य संचालन–चालू और बंद के कारण ऊष्मा उपभोग

इस ऊष्मा उपभोग की गणना गर्म, ऊष्मा और ठंडे संचालन की संख्या के आधार पर की जाती है। किसी भी प्रकार के संचालन का ऊष्मा उपभोग (Mcal) उस संचालन के लिए औसत संसाधन (कोयला, ईंधन तेल तथा खनिज रहित जल) उपभोग (औसतन एक वर्ष से अधिक) के कार्यचालन के रूप में दिया गया है:

ऊष्मा उपभोग/संचालन (मिलियन कैलरी) *= 10–3 {(कच्चे कोयले का उपभोग (किग्रा)* कच्चे कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मा घारिता (कि.कैल./कि.ग्रा.), + (भट्टी में जलाने वाले का तेल)m^3)* धनत्व (किग्रा/m^3)* भट्टी में जलने वाला तेल (कि.कैल./कि.ग्रा.) का सकल ऊष्मा घारिता+(एलडीओ उपभोग)m^3)* धनत्व (किग्रा/m^3)* एलडीओ (कि.कैल./कि.ग्रा.) का सकल ऊष्मा धारिता,+(खनिज रहित जल उपभोग)m^3)*धनत्व (किग्रा/m^3)* (ऊ.भाप–ऊ.जल) (कि.कैल./कि.ग्रा.*

)/(बॉयलर दक्षता=0.84)} मे. कैल./प्रतिवर्ष में चक्रीय संचालनों (क्यूसी) के लिए वार्षिक ऊष्मा उपभोग दिया गया है,

क्यू सी (मै.कैल./प्रतिवर्ष)={(क्यू हॉट संचालन (मै. कैल.) x हॉट/प्रतिवर्ष की संख्या, + क्यू गर्म संचालन} (मै.कैल.) x वार्म संचालन/प्रतिवर्ष की संख्या) +(क्यू ठंडा संचालन (मै.कैल) x कोल्ड संचालन/ प्रतिवर्ष की संख्या)}

मे.वा. घंटा में उत्पादित (80% इकाई भार गुणांक ध्यान को ध्यान में रखते हुए) वार्षिक ऊर्जा दी गई है,

ई (मै.वा.घंटा/प्रतिवर्ष)=उत्पादित ऊर्जा=इकाई क्षमता x 8760 x 0.8

चक्रीय तथा असामान्य संचालनों के कारण टैरिफ घटक दिया गया है,

चक्रीय तथा असामान्य संचालनों के कारण वार्षिक टैरिफ घटक=ऊषमीय दर चक्रीय=(क्यू सी/ई)

2.3 परीक्षण मूल्यांकनों से पर्यावणीय और ईंधन प्राचलों में वर्ष दौर के परिवर्तनों के कारण अतिरिक्त ऊष्मा उपभोग

यह केंद्रीय विद्युत अन्वेषण केंद्र परीक्षण के माह में स्टेशन की परीक्षण टैरिफ तथा वर्ष के प्रत्येक माह की वैयक्तिक परीक्षण टैरिफों के बीच बीजीय अंतर का योग है। परीक्षण के माह में टैरिफ उच्चतम अथवा मानक विचलन से अधिक होने की स्थिति में मौसमी परिवर्तन शून्य माना जाता है।

टैरिफ मौसमी परिवर्तन = △यूएचआर परीक्षण माह तथा अन्य माह। वास्तविक सूत्र पृथक केंद्र प्रतिवेदनों में एक्सेव शीटों में निकाले गए हैं।

2.5 अस्वीकृत कोयले का मिलों के लिए लेखांकन

यह निम्न प्रकार लिया जाता है,

***टैरिफ अस्वीकृत कोयले के मद में** ={(अस्वीकृत उत्पादन(मिल के माध्यम से कोयले का %)* कच्चे कोयले का भारित औसत सकल ऊष्मा घारिता (कि.कैल./किग्रा.)* एसएफसी (किग्रा./कि.वा.घंटा)}*

2.6 बॉयलर और टरबाइन के बीच पाइपिंग में ऊष्मा की हानि का लेखांकन

यह निम्न प्रकार लिया जाता है,

एच आर एम एस, आर एस पाइपिंग = { (पाइपिंग की संपूर्ण लम्बाई(m)**

(पाइपिंग कोयले का व्यास (m)(संवहनी और विकिरणीय ऊष्मा अंतरण दर*

(प्राकृतिक संवहन) (कि.कैल./घंटा m2⁰c) (△ टी पाईप (⁰c)ई*

2.7 संपूर्ण वार्षिक इकाई टैरिफ

वर्तमान अध्ययन में वार्षिक टैरिफ की गणना निम्नानुसार की जाती है:

i) शून्य जल क्षतिपूरण और शून्य आंतरिक भाप उपभोग की दशाओं में वास्तविक प्रदर्शन पर आधारित परीक्षण टैरिफ।

ii) गैर–प्रयोजन अनुप्रयोग के लिए भाप उपभोग के कारण टैरिफ घटक में रूपांतरित ऊष्मा उपभोग खनिज रहित जल क्षतिपूरण के भाप में प्रकट किया जाता है।

iii) गर्म, ऊष्ण और ठंडे संचालन जैसे चक्रीय अथवा असामान्य संचालनों के कारण टैरिफ घटक में रूपांतरित ऊष्मा उपभोग। इसमें प्रति संचालन उर्जा उपभोग तथा प्रतिवर्ष ऐसे संचालनों की संख्या पर विचार किया जाता है।

iv) पूरे वर्ष में परीक्षण प्राचलों में विचलन (सकारात्मक एवं नकारात्मक विचलन) के कारण टैरिफ घटकों में रूपांतरित ऊष्मा उपभोग।

v) मिल में अस्वीकृत कोयले के लिए उतरदायी उर्जा घटक। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंकर में प्रविष्ट करने वाला कोयला प्रवेशक कोयला माना जाता है तथा खंदक कोयले की सकल ऊष्मा धारिता ली जाती है। मिल निष्कर्षणों के घटक को घटाया जाना होता है।

इकाई ऊष्मा उपभोग की गणना उत्पादित उर्जा की तुलना में यथार्थ ऊष्मा उपभोग को चित्रित करने वाले उर्पयुक्त सभी घटकों को ध्यान में रखकर की जाती है। ताप विद्युत गृह की समस्त ऊष्मा दरों के क्षमता भारित औसत के रूप में गणना की जाती है।

माननीय आयोग ने अपने दिनांक 26.08.2011 के आदेश में आरपीएच की इकाइयों के निष्पादन परीक्षण के लिए एनटीपीसी–सेनपीप द्वारा तैयार प्रतिवेदन का विश्लेषण किया है। राजघाट पावर हाउस की इकाई 1 और इकाई 2 द्वारा अर्जित स्टेशन टैरिफ 3049.8 कि.कैल. /किवा. घंटा तथा 3220.1 कि. कैल./कि.वा. घंटा थी। माननीय आयोग ने रिपोर्ट से ज्ञात किया है कि इकाई संख्या दो की बायलर दक्षता ईंधन में उच्च नमी तथा कार्बन मोनाआक्साइड के कारण क्षति के निमित निम्न थी जो कोयले के अनुपयुक्त ज्वलन के कारण अस्थायी घटना है। इसलिए इकाई संख्या 2 का निष्पादन इकाई संख्या 1 के स्तर अर्थात 3049.8 कि.कैल./कि.वा. घंटा पर ही माना गया है। माननीय आयोग ने 3049.8 कि.कैल./कि.वा. घंटा पर स्थिर संचालन दशाओं पर केवल 5% के सीमांत का अनुप्रयोग किया है तथा आरपीएच की स्टेशन टैरिफ परिणामतः 3202 कि.कैल./कि.वा. घंटा होती है। माननीय आयोग ने तद्नुसार स्टेशन टैरिफ को 3200 कि.कैल./कि.वा. घंटा तक सीमित किया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय आयोग ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ विनियमों में कोयला/लिग्नाइट आधारित स्टेशनों के लिए यथा विनिर्दिष्ट 6.5% के बजाए 5% के सीमांत विचार किया है। अतः यह निवेदन किया जाता है कि माननीय आयोग ने अपने विनियम, 2011 में कोयला आधारित ऊष्मीय उत्पादक स्टेशनों के लिए 6.5% सीमांत पर भी विचार किया है। वर्तमान मामले में 3049.8 कि.कैल./कि.वा. घंटा की इकाई टैरिफ पर 6.5% के सीमांत का अनुप्रयोग करते हुए स्टेशन टैरिफ परिणामतः 3248 कि.कैल./कि.वा. घंटा होगी। अंतः माननीय आयोग से अनुरोध किया जाता है कि आरपीएच स्टेशन के लिए कम से कम 3248 कि.कैल./कि.वा. घंटा की स्टेशन टैरिफ की अनुमति दें।

वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान बंद का आस्थगन

याचिाकर्ता माननीय आयोग के ध्यानार्थ लाना चाहता है कि राजघाट पावर हाउस की संपूर्ण मरम्मत वित्तीय वर्ष 2009—10 के दौरान स्थगित की गई थी। इकाई नं. 2 की योजनाबद्ध बंदी 10.05.2009—30.06.2009 से 15.09.2009—31.10.2009 तक स्थगित की गई। तथा, इकाई नं. 2, 12.09.2009 को योजनाबद्ध रूप से बंद कर दी गई। इसी प्रकार इकाई नं. 1 की योजनाबद्ध बंदी 01.07.2009—20.08.2009 से 10.11.2009—25.12.2009 तक स्थगित की गई। सचिव (विद्युत), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा 11.11.2009 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार इकाई नं. 1 की योजनाबद्ध बंदी 10.11.2009 से फरवरी, 2010 के मध्य तक स्थगित कर दी गई। दिल्ली राज्य में अनिश्चित विद्युत परिदृश्य के कारण इकाई सं 1 की 17.04.2010 को योजनाबद्ध रूप से अंतिम बंदी कर दी गई।

इकाईयों की योजनाबद्ध बंदी के स्थगन के कारण, स्टेशन को आंशिक भार आधार पर संचालित किया गया। स्टेशन के आंशिक भार संचालन का परिणाम निम्न उपलब्धता, उच्च स्टेशन टैरिफ तथा उच्च आंतरिक विद्युत उपभोग हुआ। तद्नुसार, योजनाबद्ध बंदी के स्थगन के परिणामस्वरूप स्थायी लागत की न्यून प्रतिप्राप्ति, उच्च टैरिफ के साथ—साथ आंतरिक विद्युत उपभोग के निमित हानि हुई है जिसने कंपनी के नकदी प्रवाह को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। माननीय आयोग ने योजनाबद्ध बंदी के स्थगन के लिए इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की क्षति पूर्ति करने की सहमति दी है। माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2009—10 के लिए वास्तविक उपलब्धता पर स्थायी लागत की प्रति प्राप्ति की पहले ही अनुमति दे दी है। तथापि, यह समझ लिया जाए कि निम्न उपलब्धता के परिणामस्वरूप उच्च टैरिफ के साथ आंतरिक विद्युत उपभोग भी हुआ है।

विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत है कि सीईए ने ढ़ाल के आधार पर पीएलएफ को कम करने के साथ अतिरिक्त ताप दर के अनुमति की अनुसंशा की है। पीएलएफ में प्रत्येक 1 प्रतिश्सत की घटत के लिए, स्टेशन के ताप दर को kCal/kWh के एक गुणक द्वारा बढ़ाया जाना है। वित्तीय वर्ष 2009—10 के लिए प्राप्त पीएलएफ 54.64 प्रतिशत था जो कि मानक पैरामीटर से 16 प्रतिशत के करीब कम है। वित्तीय वर्ष 2009—10 के लिए स्टेशन ताप दर kCal/kWh 3849 था जो कि करीब मानक ताप दर से 20 प्रतिशत ज्यादा है। यह इंगित करता है कि ईंधन लागत का करीब 16 प्रतिशत उन कारणों से पुनःप्राप्य नहीं जो कि याचिकाकर्ता के नियंत्रण के बाहर हैं। तुलना के उद्देश्य से, वित्तीय वर्ष 2009—10 के लिए ईंधन लागत 150.29 करोड़ था जबकि टैरिफ से 125.31 करोड़ प्राप्त किया गया।

उपर्युक्त निवेदनों के दृष्टिगत याचिककर्ता ने माननीय आयोग से अनुरोध किया है कि वित्तीय वर्ष 2007—08 से वित्तीय वर्ष 2011—12 के लिए राजघाट पावर हाउस हेतु वास्तविक टैरिफ तथा 3248 कि. कैल./कि.वा.घंटा की प्रस्तावित टैरिफ की तदैव अनुमति प्रदान करें।

गैस टरबाईन पावर स्टेशन

माननीय आयोग ने संयुक्त संचालन में 2450 के कि.कैल/किलोवाट घंटा और खुली चक्र अवस्थाद में गैस टरबाइन विद्युत गृह, जो स्टेशन द्वारा प्राप्त करने योग्य स्तर के नीचे हैं, के लिए 3125 कि. कैल/किलोवाट घंटाकी स्टेशन ताप दर (हीट रेट) को मंजूरी दे दी है। वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–11 के दौरान हासिल की गई ऊष्मा दर निम्न प्रकार है :

तालिका 5 : गैस टरबाइन विद्युत गृह की ऊष्मा दर

मोड	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
संयुक्त चक्र अवस्था में (केसीएएल/केडब्ल्यूएच)	2554	2553	2557	2504	2463
खुला चक्र अवस्था में (केसीएएल/केडब्ल्यूएच)	3416	3397	3390	3394	3391

माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए डीईआरसी टैरिफ निर्धारण आदेश के खिलाफ की गई अपील नं. 81/2007 में अपने 2008/10/01 दिनांकित आदेश में इस मुद्दे का फैसला निम्नवत द्वारा किया:

''14) आईपीजीटीएस के लिए, 2450 कि.कैल/किलोवाट घंटा का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। वित्तीय वर्ष 2005–06 और 2006–07 के लिए वास्तविक ताप दर 2497 कि. कैल/किलोवाट घंटा थी। जहां तक आईपीजीटीएस की बात है, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2005–06 और 2006–07 साल के लिए 2450 कि.कैल/किलोवाट घंटा को स्टेशन ताप दर निर्धारित किया है। यह गैस के कुल कैलोरी मूल्य पर आधारित है। याचिकाकर्ता ने प्रतिपादित किया है कि स्टेशन का रखरखाव ठीक नहीं किया गया था और उक्त अवधि में गैस की उपलब्धता काफी कम हो गई थी।

15) इस आदेश से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने जीएआईएल (गेल) द्वारा लगाई गई कटौती की वजह से गैस की कमी के मामले को काफी जोर–शोर एवं प्रबलपूवर्क लिया था। आयोग ने आदेश में इस तरह की कटौती का आईजीपीटीएस स्टेशन के स्टेशन ताप दर पर पड़नेवाले असर का विश्लेषण नहीं किया है। यहां तक कि, अगर निदेशक की रिपोर्ट में वर्णित अन्य कारकों की अनदेखी कर दी जाए तब भी आयोग द्वारा गैस की कमी को ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आवेदनकर्ता के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए, हमें लगता है कि जहां तक आईपीजीटीपीएस स्टेशन की ताप दर का संबंध है आयोग को इस पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। अब आयोग को गैस की कमी के साथ–साथ उपर्युक्त अनुच्छेद 7 में संकेतित निदेशक की रिपोर्ट में उल्लिखित अन्य कारकों का ध्यान रखते हुए 2006–07 के लिए आईपीजीटीपीएस के लक्षित ताप दर को फिर से निश्चित करें। फलस्वरूप पुनर्विचार के समय और बाद में दिए जाने वाले टैरिफ निर्धारणटैरिफ निर्धारण आदेश में याचिकाकर्ता को लाभ दिया जाएगा।''

यह प्रस्तुत किया गया है कि स्टेशन की टरबाइनें 30 मेगावाट आकार की है और 25 से अधिक वर्षों पुरानी हैं। गैस टरबाइनों को खुली चक्र अवस्थाअवस्था में लगभग 10 साल संचालित करने के बाद, मैसर्स भेल द्वारा अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति मॉड्यूल को फिर से लगाने के बाद आईपीजीटीपीएस की एसटीजीज को स्थापित किया गया। तथा यह ध्यान देने योग्य बात है कि गैस टरबाइन बनाने वाले किसी भी अन्य आपूर्तिकर्ता द्वारा इन मशीनों के दुबारा लगाकर चलाना, निहित समस्याओं का कारण हो सकती हैं और गैस टरबाइन पावर स्टेशन कोई अपवाद नहीं है।

सरल चक्र अवस्था में दबाव, प्रवेश तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और वायुमंडलीय दबाव की 1.019 बार पर गारंटी की ताप दर पर 11,688 केजे/केडब्ल्यूएच है। 31.5 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टेशन स्थल स्थितियों पर गारंटी ताप दर 3188 केसीएएल/किलोवाट है। इसके अलावा, गारंटी ताप दर में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, 5.70% के सुधार कारक को शामिल कर लेने पर सरल चक्र अवस्था के लिए सही ताप दर 3370 कि.कैल/किलोवाट घंटापर काम करता है। निर्माता के डेटा पत्रक की प्रतिलिपि **अनुलग्नक – डी** में संलग्न है।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिसंबर, 2004 की अपनी रिपोर्ट में गैस टरबाइन स्टेशनों पर परिचालन नियमों में तकनीकी मानकों की सिफारिश की है। सिफारिशों के अनुसार, आईपीजीटीपीएस के लिए प्रयोज्य गैस टरबाइन की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित सरल चक्र ताप दर निर्धारित की गई है।

तालिका 6 : 2004 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई ताप दर की सिफारिश

जीटीएस की क्षमता	सरल चक्र ताप दर (केसीएएल/ केडब्ल्यूएच)	
	आयु 10 वर्ष से कम	आयु 10 वर्ष से अधिक
30 मेगावाट से कम क्षमता के गैस टरबाइन	3500	3550
30 मेगावाट या अधिक की क्षमता के गैस टरबाइन पर 100 मेगावाट से कम	3200	3250

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणयह भी माना है कि संचालन दक्षता या ताप की दर तथा एक थर्मल पावर स्टेशन के अन्य प्रदर्शन मापदंड कई कारकों पर निर्भर करते है, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता हैः –

क) प्रौद्योगिकी और उपकरण

ख) पारिवेशिक स्थितियां

ग) ईंधन गुणवत्ता

घ) संयंत्र का संचालन और रखरखाव प्रथाएं

ङ) स्टेशन की ईकाई

माननीय आयोग का ध्यान इस तथ्य पर किया गया कि सीईआरसी ने 291 मेगावाट(33.5 मेगावाट के 6 गैस टरबाइन और 30 मेगावाट के 3एसटीजी) की क्षमता के एनईईपीसीओ के समान असम गैस स्टेशन से आगे ताप दर को संयुक्त चक्रिय प्रकार में 2400kCal/kWh के वर्तमान स्तर से 2500kCal/kWh तक छूट दिया है, यद्धपि स्टेशन 1995–98 में अनुसंशित किया गया था। असम गैस पर आधारित स्टेशन के लिए मानक संयुक्त चक्रिय प्रकार में 2500kCal/kWh और खुला चक्रिय प्रकार में 3440 kCal/kWh हैं। दिनांक 07.06.2012 को माननीय सीईआरसी का आदेश यहां संलग्न है और अनुलग्नक– ई के रुप में चिन्हित है। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि माननीय आयोग ने असम गैस आधारित स्टेशन के लिए मानकों के संदर्भ पर जीटीपीएस के लिए ताप दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब चुंकि, असम गैस आधारित स्टेशन के लिए मानकों में ढ़ील दी गई है, गैस टरबाइन पावर स्टेशन के लिए अनुचित और अन्यायपूर्ण होगा यदि ताप दर के मानकों में ढ़ील नहीं दी गई। माननीय आयोग यह संज्ञान ले सकते हैं कि सीईआरसी ने वित्तीय वर्ष 2004–09 के दौरान भी असम गैस आधारित स्टेशन के लिए खुला चक्रिय प्रकार में ताप दर के कम कड़े मानक तय किए हैं।

माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए दिनांक 2011/08/26 को दिए गए टैरिफ निर्धारण आदेश में गैस टरबाइन के संबंध में कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारित करने के लिए इस पर ध्यान दिया है कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने असम कटहल गुरी गैस आधारित स्टेशन के लिए 3440 किलो कि.कैल/किलोवाट घंटा की ताप दर प्रदान की है। हालांकि, माननीय आयोग ने इस आधार पर कि स्टेशन को अधिकांश समय के लिए संयुक्त चक्र अवस्था में और कभी–कभार खुले चक्र संचालन में चलाने की अपेक्षा की जाती है, याचिकाकर्ता के तर्क/उदाहरण को स्वीकार नहीं किया है। इस विषय में पुनः निवेदन है कि जब भी दिल्ली राज्य केंद्रीय पारेखण केंद्र, दिल्ली द्वारा मांग की जाती है स्टेशन को तभी खुला चक्र अवस्था में चलाया जाता है। पिछले चार वर्षों के दौरान खुले चक्र अवस्था में आईपीजीटीपीएस का संचालन निम्नानुसार हैः –

तालिका 7: एसएलडीसी द्वारा प्रमाणित खुला चक्र (%)

वर्ष	शुद्ध उत्पादन (एमयू)	खुला चक्र उत्पादन एसएलडीसी द्वारा प्रमाणित (एमयू)	% खुला चक्र
2007-08	1241.16	426.55	34.37%
2008-09	1237.55	216.26	17.48%
2009-10	1444.76	114.59	7.93%
2010-11	1322.77	25.77	1.95%

2011-12	1193.160	33.296	2.79%

यह अधिमूल्यित होगा कि वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं वित्तीय वर्ष 2008–09 में नंबर 2 एसटीजी बंद होने की वजह से काफी खुला चक्र संचालन किया गया। यद्यपि हाल की वर्षों में, खुले चक्र अवस्था में आईपीजीटीपीएस का संचालन कम रहा है, वहां खुले चक्र अवस्था में संचालित होने के समय की ईंधन लागत की वसूली पर लगभग 10% का प्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। रूपयों के संदर्भ में यह नुकसान काफी अधिक है। स्टेशन हमेशा संयुक्त चक्र अवस्था में चलाने में प्रयासरत है, लेकिन जब दिल्ली राज्य विद्युत पारेखण केंद्र के अनुरोध पर खुला चक्र अवस्था में संचालित किया जाएगा, तब स्टेशन को 3440 कि.कैल/किलोवाट घंटा की उच्च ताप दर की अनुमति दी जानी चाहिए।

रात के समय दिल्ली राज्य विद्युत पारेखण केंद्र द्वारा अक्सर समर्थन न होने की वजह से आंशिक संचालन के कारण आईपीजीटीपीएस स्टेशन की ताप दर भी उच्चता की तरफ है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निकासी (पीक घंटे के दौरान निकासी के लिए अपर्याप्त क्षमता) की कमी के कारण, गैस टरबाइन को जिसकी वजह से प्रति दिन 10 घंटे के लिए 10% से कम संरक्षित किया गया, जिसकी वजह से प्रदर्शन में आगे 1% का नुकसान हुआ। स्टेशन के कम समर्थन के परिणामस्वरूप इकाइयों का आंशिक संचालन हुआ। कम भार गुणांक स्टेशनभार गुंजाइश की वजह से स्टेशन की ताप दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

यह आगे पेश किया जाता है कि आंशिक उत्पादक दिशानिर्देश की वजह से स्टेशन की उपलब्धता और भार गुणांक के बीच काफी अंतर रहा है। कम भार गुणांक से स्टेशन की ताप दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

तालिका 8 : जीटीपीएस के लिए उपलब्धता और पीएलएफ की तुलना

वर्ष	उपलब्धता (%)	पीएलएफ (%)
2007-08	60.98%	50.89%
2008-09	70.14%	52.98%
2009-10	73.28%	63.21%
2010-11	81.91%	58.65%
2011-12	79.41%	51.30%

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया कि भार गुणांक स्टेशन की ताप दर और स्टेशन के बिजली की आंतरिक खपत को प्रभावित करता है। प्रासंगिक सार को निम्न तोर पर पुनरुत्पादित किया गया है:–

...............''यह इस वजह से है क्योंकि सकल ऊष्मादर और स्टेशन की आंतरिक ऊर्जा की खपत स्टेशन के भार गुणांक पर निर्भर हैं। भार गुणांक का ऊंचा होना सकल ऊष्मादर और आंतरिक ऊर्जा की खपत लाभार्थी के लिए अधिक बिजली की उपलब्धता का वाचक है सकल ऊष्मादर...........

स्टेशन की उपलब्धता और भार गुणांक के बीच पर्याप्त अंतर रहा है। यह बहुत स्पष्ट है कि उपलब्धता की तुलना में भार गुणांक कमी की ओर रहा है जो आगे स्टेशन की ताप दर और स्टेशन के बिजली की आंतरिक खपत को प्रभावित करता है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कम क्षमता की एसटीजीज के लिए आगत ताप समान होने की वजह से, संयुक्त चक्र ताप दर प्रभावित हो जाएगी और उसे तदनुसार संशोधित किए जाने की आवश्यकता होगी। याचिकाकर्ता यह उल्लेख करना चाहता है कि स्टेशन की गैस टरबाइनें 25 साल से अधिक पुरानी हैं और अब तक स्टेशन का कोई बड़ा नवीनीकरण और आधुनिकीकरण शुरू नहीं किया गया है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, माननीय आयोग से बहुवर्षीय ऊर्जादर अवधि 2007–08 से 2011–12 तक के लिए स्टेशन द्वारा संयुक्त चक्र अवस्था और खुला चक्र अवस्था में प्राप्त वास्तविक ताप दर में सही करने का अनुरोध किया जाता है।

सारांश

स्टेशनों की ताप की उच्च दर के उपरोक्त कारक याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता आयोग से और अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध करता है। आगे, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से निम्नलिखित को ध्यान में रखते इस याचिका में सकल ऊष्मादर के प्रस्तावित स्तर को मंजूरी देने की प्रार्थना करता हैः

क) अधिक आयु और स्टेशनों की प्रौद्योगिकी.

ख) निम्न सकल ऊष्मादर प्राप्त करने में व्यावहारिक कठिनाई, जैसा कि विभिन्न तकनीकी रिपोर्ट में परिलक्षित है।

ग) विभिन्न माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण फैसले, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण दिशा निर्देश और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग विनियम

यहां इसका उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि थर्मल संयंत्रों के संचालन के तकनीकी मानकों (2004) के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार पुरानी इकाइयों का खराब प्रदर्शन मूल प्रारूप की कमी, उचित मरम्मत एवं रखरखाव की कमी, पुराने हो जाने, कोयले की गुणवत्ता, ह्रास आदि विभिन्न कारणों की वजह से है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण रिपोर्ट कहती हैः

''हालांकि, तथ्य यह है कि मूल प्रारूप की कमी, उचित मरम्मत एवं रखरखाव *की कमी, पुराना होने, कोयले की गुणवत्ता में गिरावट आदि विभिन्न कारणों की वजह से अधिकांश छोटी इकाइयों का प्रदर्शन बेहद खराब है। वर्तमान में जीएचआर में औसत अंतर प्रारूप ताप दर से 60% तक है। अनुच्छेद 10.4, में* ***उपरोक्त और पूर्वगामी चर्चा की दृष्टि में, यह प्रस्तावित है कि 110% के गारंटी ताप दर के अनुमोदित मानक प्रदर्शन के स्तर को प्राप्त करने के लिए 3–5 वर्षों की निश्चित समय सीमा के लिए, इन इकाइयों के लिए मौजूदा औसत ताप दर*** *को मानक ताप दर के रूप में अनुमति दी जा सकती है। संबंधित विनियामक आयोग द्वारा प्रति वर्ष विशिष्ट सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है।'' (उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 38–39)*

इस प्रकार, ऊपर्युक्त प्रस्तुतियों को दृष्टिगत रखते हुए, कृपया इसका ध्यान दिया जाए कि नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के प्रमुख काम के अभाव में, अपने पुराने संयंत्रों के सकल ऊष्मादर में सुधार पर आईपीजीसीएल का सीमित नियंत्रण है।

याचिकाकर्ता माननीय आयोग का ध्यान राष्ट्रीय टैरिफ निर्धारण नीति, 2005 के खंड (च), की ओर आकर्षित करना चाहता है, जिसमें मान से नीचे के पुराने स्टेशनों के लिए इन रियायती मानदंडों को निर्दिष्ट किया गया है। नीति के प्रासंगिक सार को निम्नलिखित के रूप में आयोग विचार्थी प्रस्तुत किया गया हैं : –

"ऐसे मामले में जहां संचालन पिछले अनेक वर्षों मानदंडों से काफी नीचे रहा है, राज्य विद्युत विनियामक आयोग उपयुक्त रियायती मानदंडों को निर्धारित कर सकती है और केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित मानदंडों को प्राप्त करने के लिए एक समयानुकूल संक्रमण पथ बना सकती है।"

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आईपीजीसीएल आयोग के समक्ष बिना किसी पाबंदी के आईपीजीसीएल द्वारा यहां प्रस्तुत स्तर पर स्टेशन ताप दर को मंजूरी देने का निवेदन करता है। याचिकाकर्ता आयोग से ताप की दर के लिए विनियमन की प्रासंगिक धाराओं के तहत छूट देने की प्रार्थना करता है।

आंतरिक विद्युत खपत

आईपीजीसीएल के स्टेशनों द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के दौरान आंतरिक विद्युत खपत का हासिल मूल्य का संक्षेप नीचे तालिका 9 में दिया गया है।

तालिका 9 : आईपीजीसीएल स्टेशनों के लिए आंतरिक विद्युत खपत (%)

विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12

आई.पी. पावर स्टेशन	13.59%	14.43%	16.09%	-	-
राजघाट पावर स्टेशन	13.01%	13.78%	14.43%	12.25%	13.34%
जीटी पावर स्टेशन	3.06%	3.34%	3.55%	3.33%	3.65%

आई.पी. स्टेशन

आई.पी. स्टेशन 40 से अधिक साल पुराना था और 31.12.2009 को बंद कर दिया गया है। संयंत्र में लगातार आकस्मिक खराबी हो रही थी और इसकी उपलब्धता पर सवाल उठ रहा था। संभावित बंद के कारण कोई बड़ी मरम्मत और रखरखाव का काम नहीं किया गया। संयंत्र के कामकाज को चालू रखने के लिए केवल आवश्यकता आधारित रखरखाव किया गया था। इन कारकों की वजह से स्टेशन का भार गुणांक निम्न स्तर पर बना रहा जिसके फलस्वरूप आंतरिक खपत उच्च रही। आंतरिक ऊर्जा खपत को कम करने के हमारे सभी ईमानदारी प्रयासों के बावजूद, स्टेशन निम्नलिखित आंतरिक खपत को प्राप्त करने में सक्षम था:

तालिका 10 : आई.पी स्टेशन की आंतरिक विद्युत खपत

	2007-08	2008-09	2009-10
आंतरिक विद्युत उपभोग (%)	13.59%	14.43%	16.09%

यह एक ज्ञात तथ्य है कि थर्मल पावर स्टेशनों की आंतरिक विद्युत खपत संयंत्र के आंशिक भार संचालन के साथ अनुपातिक रूप से कम नहीं होती। इस प्रकार, अतिरिक्त खपत को, जब कुल उत्पन्न इकाइयों के प्रतिशत के संबंध में मापा जाता है, तो वह संयंत्र के पूरे भार पर काम नहीं करने पर बढ़ जाती है। पुराने होने के पूर्व उल्लिखित प्रभाव के कारण इन्द्र प्रस्थ विद्युत गृह की इकाइयां पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर रही थीं। इन इकाइयों को आंशिक लोड क्षमता पर संचालित करने से आंतरिक विद्युत खपत अधिक होने के परिणामस्वरूप आंतरिक विद्युत खपत में उच्चता रही।

अपील नं 26/2008 में माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने आईपीजीसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए बहुवर्षीय ऊर्जादर टैरिफ निर्धारण आदेश के खिलाफ दायर अपील के लिए दिनांक 07.4.2011 को दिए गए में अपने फैसले में स्टेशन ताप दर और आंतरिक ऊर्जा खपत के संबंध में निम्नलिखित आदेश दिए हैं:

"33. इन्द्र प्रस्थ ताप विद्युत गृह के स्टेशन ताप दर और आंतरिक विद्युत खपत के संबंध में, स्टेशन को बंद करने के निर्णय और मानदंडों की उपलब्ध रियायत पर हमारे निष्कर्ष के परिदृ

श्य में, हमें लगता है कि राज्य आयोग द्वारा इसके विनियमों के तहत मानदंडों पर रियायत देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए रियायत देने का मामला है।''

चूंकि, ये परिस्थितियां आईपीजीसीएल के नियंत्रण से परे थीं, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से इन्द्र प्रस्थ ताप विद्युत गृह के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 और 2009–10 के दौरान हासिल आंतरिक विद्युत खपत को रियायत देने और सुधारने पर विचार करने का अनुरोध करता है।

राजघाट पावर हाउस

यह अनुरोध किया गया है कि माननीय आयोग ने वि. वर्ष 2007–08 के वि.वर्ष 2011–12 की पिछली बहु वर्षीय ऊर्जादर नियंत्रण अवधि के दौरान स्टेशन की आंतरिक बिजली की खपत के लिए 11.28% का मान निर्धारित किया है। है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 की नियंत्रण अवधि के दौरान स्टेशन द्वारा हासिल आंतरिक विद्युत खपत के सारांश का नीचे तालिका 12 मे उल्लेख किया गया है:

तालिका **11 : राजघाट पावर हाउस की आंतरिक विद्युत खपत**

	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
आंतरिक विद्युत खपत (%)	13.01%	13.78%	14.43%	12.25%	13.34%

यह निवेदन है कि आंतरिक ऊर्जा खपत स्तर को 11.28% पर निर्धारित किया जाना व्यावहारिक रूप से स्टेशन द्वारा प्राप्त किए जाने से बहुत कम है। इस संबंध में माननीय आयोग का ध्यानाकर्षण सीईए के निम्नांकित अनुसंशाओं पर किया गया:

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने ''कोयला/लिग्नाइट पर चलने वाले थर्मल पावर स्टेशन के संचालन नियमों पर तकनीकी मानक पर दिसंबर, 2004 को दी गई अपनी रिपोर्ट में कूलिंग टॉवर सहित छोटे आकार की इकाइयों के लिए 12% की अतिरिक्त विद्युत खपत की सिफारिश की थी। वर्ष 1989–90 में राजघाट पावर हाउस स्टेशन में 67.5 मेगावाट की दो इकाइयां ठण्डा करने वाले टावरों के साथ लगाई गई है, अतः 12 प्रतिशत की आंतरिक ऊर्जा की खपत का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए।

इस विषय में यह निवेदन है कि **केंद्रीय विद्युत विनियामक (शर्तें और टैरिफ निर्धारण की स्थितियां) आयोग विनियम, 2009 के विनियमन 26(iv)(ख) में वित्तीय वर्ष 2009–14 के लिए 110 मेगावाट प्रत्येक की चार इकाइयों से युक्त टांडा ताप गृह के लिए 12%ः की आंतरिक**

खपत को मंजूरी दे दी है। राजघाट पावर हाउस के मामले में, माननीय आयोग ने पहले से ही वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए 12%ः की आंतरिक बिजली की खपत को मंजूरी दे दी है।

माननीय आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में वर्णित है, वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान राजघाट पावर हाउस की दोनों इकाइयों की मरम्मत स्थगित कर दी गई थी। तदनुसार, बंद की बनाई योजना के स्थगन के परिणामस्वरूप कम उपलब्धता, उच्च ताप दर के संबंध में हानि के साथ–साथ आंतरिक विद्युत खपत/अधिक हुई है। माननीय आयोग ने पहले ही अवधि के लिए स्टेशन की वास्तविक हासिल की गई उपलब्धता पर पूर्ण निर्धारित लागत की वसूली की अनुमति दी है। **माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए वास्तविक आंतरिक विद्युत खपत पर विचार करने और इसकी अनुमति देने के लिए अनुरोध किया जाता है।**

वित्तीय वर्ष 2009–10 में स्टेशनों की इकाई संख्या 2 की मरम्मत की गई थी और वित्तीय वर्ष 2010–11 में इकाई संख्या 1 की मरम्मत का कार्य किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010–11 में आंतरिक विद्युत खपत पिछले तीन वर्षों की तुलना में कम हो गयी है।

इकाई संख्या 1 की बॉयलर ट्यूबों में 1–4 और 2–3 के कोने में अक्सर ट्यूब की रिसाई प्रबल हैं। मरम्मत के दौरान इन ट्यूबों में से अधिकांश को बदल दिया गया था। हालांकि, शेष ट्यूबें कमजोर हैं और मूल्यांकित दबाव को बनाए नहीं रख सकती हैं। इसलिए, लगातार रिसाव और बॉयलर के बंद होने से बचाव के लिए, दबाव को बंद कर दिया है, वि.वर्ष 2011–12 के दौरान दबाव को निर्धारित दबाव के 75%ः के आसपास रखा गया है। तदनुसार, इकाई संख्या 1 का भार 55 मेगावाट से ज्यादा नहीं हो सकता है। मशीन के भार को कम करने के परिणामस्वरूप ताप दर और आंतरिक बिजली की खपत में वृद्धि हो रही है।

निकट भविष्य में स्टेशन को बंद किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित बंद को दृष्टिगत रखते हुए, बॉयलर ट्यूबों के थोक प्रतिस्थापन सहित मरम्मत और रखरखाव का कोई कोई प्रमुख काम नहीं किया जा रहा है।

विद्युत अपीलीय न्याधिकरण द्वारा बंद किए जाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आनेवाले स्टेशनों के लिए रियायती मानदंडों की आवश्यकता को स्वीकृति दी गई है। माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण ने याचिका संख्या 26/2008 के लिए दिनांक 07.04.2011 के अपने आदेश में पहले ही कंपनी के इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन के लिए ताप दर और आंतरिक बिजली की खपत की जरूरत को सही ठहराया है, जिन्हें उस समय बंद के लिए प्रस्तावित किया गया था। आदेश के अंशों को नीचे पुनः पेश किया गया हैंः –

> *"33. इन्द्र प्रस्थ ताप विद्युत गृह के स्टेशन ताप दर और आंतरिक विद्युत खपत के संबंध में स्टेशन को बंद करने के निर्णय और मानदंडों की उपलब्ध रियायत पर हमारे निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में, हमें लगता है कि राज्य आयोग द्वारा इसके विनियमों के तहत मानदंडों पर रियायत देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए रियायत देने का मामला है।''*

तदनुसार, याचिकाकर्ता माननीय आयोग से स्टेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 की नियंत्रण अवधि के लिए हासिल वास्तविक आंतरिक बिजली की खपत को सही करने को मंजूरी देने का अनुरोध करता है।

गैस टरबाइन पावर स्टेशनः

सहायक स्टेशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के दौरान हासिल के सार का उल्लेख नीचे तालिका 12 में किया गया है।

तालिका 12 : गैस टरबाइन विद्युत गृह की आंतरिक विद्युत खपत

	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
आंतरिक विद्युत खपत (%)	3.06%	3.34%	3.55%	3.33%	3.65%

स्टेशन की गैस टरबाइनों को वर्ष 1985–86 में चालू किया गया और अपशिष्ट ताप पुनरुद्धार इकाइयों को वर्ष 1995–96 में लगाया गया। स्टेशन की एसटीजीज निर्धारित उत्पादन प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं और इसलिए स्टेशन के सकल उत्पादन पर प्रतिशत के रूप में गणना करने पर स्टेशन की आंतरिक बिजली की खपत बढ़ जाती है।

यह आगे भी उल्लेख किया गया है कि प्रणाली की कम मांग की वजह से स्टेशन को कम भार पर चलाया जाता है। स्टेशन की वर्ष वार उपलब्धता और भार गुणांक जोकि दिल्ली राज्य विद्युत पारेखण केंद्र द्वारा प्रमाणित है निम्न तालिका 13 में प्रस्तुत किया गया हैः

तालिका 13 : जीटीपीएस के लिए उपलब्धता एवं पीएलएफ की तुलना

वर्ष	उपलब्धता (%)	पीएलएफ (%)
2007-08	60.98%	50.89%
2008-09	70.14%	52.98%
2009-10	73.28%	63.21%
2010-11	81.91%	58.65%
2011-12	79.41%	51.30%

भार गुणांक निर्धारित उत्पादन पर आधारित स्टेशन के वास्तविक उत्पादन को दर्शाता है जबकि उपलब्धता प्रणाली में विद्युत देने के लिए स्टेशन की उत्पादन क्षमता को दर्शाती है।

इस कम भार गुणांक के परिणामस्वरुप स्टेशन की आंतरिक विद्युत खपत में वृद्धि हुई है। आगे यह भी प्रस्तुत निवेदन है कि संयुक्त चक्र अवस्था में आंतरिक विद्युत खपत 3.70ः प्रतिशत के आसपास है। इसलिए, **याचिकाकर्ता माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए संयुक्त चक्र अवस्था में वास्तविक आंतरिक बिजली की खपत का अनुरोध करता हैं।**

3.1.2 सकल और शुद्ध उत्पादन

उपलब्धता और आंतरिक ऊर्जा खपत के आधार पर, नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12) के दौरान इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत गृह, गैस टरबाइन विद्युत गृह और राजघाट विद्युत गृह के लिए सकल और शुद्ध उत्पादन का उल्लेख निम्नांकित तालिका 14 में किया गया हैः

तालिका 14 : सकल और शुद्ध उत्पादन

इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन	2007-08	08-09	09-10		
क्षमता (मेगावाट)	247.5	247.5	247.5		
सकल उत्पादन (एमयू)	1028	955	449		
अतिरिक्त खपत	13.59%	14.43%	16.09%		
शुद्ध उत्पादन (एमयू)	888	817	377		
दिल्ली का शुद्ध अंश (एमयू))	606	571	254		
राजघाट पावर स्टेशन	**2007-08**	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**
क्षमता (मेगावाट)	135	135	135	135	135
सकल उत्पादन (एमयू)	898	877	645	781	818.364
अतिरिक्त खपत	13.01%	13.78%	14.43%	12.25%	13.34%
शुद्ध उत्पादन (एमयू)	781	756	552	685	709.202
जीटी पावर स्टेशन	**2007-08**	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**
क्षमता (मेगावाट)	282	270	270	270	270
सकल उत्पादन (एमयू)	1280	1280	1497	1368	1238.357
अतिरिक्त खपत	3.06%	3.34%	3.55%	3.33%	3.65%
शुद्ध उत्पादन (एमयू)	1241	1237	1445	1323	1193.161
दिल्ली के लिए कुल आईपीजीसीएल	**2007-08**	**08-09**	**09-10**	**10-11**	**11-12**
सकल उत्पादन (एमयू)	3,206	3,112	2,591	2149	2057
शुद्ध उत्पादन (एमयू)	2628	2564	2251	2008	1902

याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक आयोग से नियंत्रण अवधि के दौरान सभी संयंत्रों के लिए सकल और शुद्ध उत्पादन को मंजूरी देने और अचर लागत को ऊपर्युक्त उत्पादन लक्ष्यों के आधार पर वसूल करने की अनुमति देने का अनुरोध करता है।

<u>कोयला ढुलाई के दौरान नुकसान</u>

वर्तमान नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 3.80% कोयला ढुलाई नुकसान होने का अनुमान है। इस विषय में यह निवेदन है कि एक निश्चित स्तर से परे कोयला ढुलाई के दौरान नुकसान को कम करने पर याचिकाकर्ता का ज्यादा नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ढुलाई के दौरान कोयले के भार में कमी कई बाहरी, नियंत्रण से परे कारको की वजह से होती है।

कोयला में ढुलाई के दौरान भार हानि कोयला कंपनी द्वारा कोयला लदान बिंदु पर लादे गए कोयले की मात्रा और विद्युत संयंत्र में उतारने के बिंदु पर कोयले की मात्रा में प्राप्त अंतर से गणना की जाती है। इस तरह के नुकसान के कारण आम तौर निम्नलिखित हैंः

- धुले कोयले में सतह पर सतही नमी
- नमी का वाष्पीकरण और ढुलाई के दौरान पाउडर कोयले का उड़ना
- चोरी करने, उठा लेने, आदि की वजह से ढुलाई के दौरान कोयले की हानि

पर्यावरणीय कारणों के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत आईपीजीसीएल अपने कोयला आधारित स्टेशनों के लिए धुले कोयले की खरीद और उपयोग करने को बाध्य है। कोयला की धुलाई तकनीक के ढुलाई के दौरान कोयला जल अवशोषण करता है जिसके परिणामस्वरूप लदान के समय उसका वजन अधिक हो जाता है। ढुलाई के दौरान और भंडारण के दौरान अतिरिक्त नमी वाष्पीकृत हो जाती है। इसलिए, धुले कोयले में अधिक नमी के कारण ढुलाई के दौरान अधिक भार में कमी आ जाती है। स्टेशनों में धुले कोयले के उपयोग की वजह से अतिरिक्त नमी के कारण 3% का नुकसान और 0.8% ढुलाई के दौरान नुकसान होता है। इस विषय में यह निवेदन है कि कोयला परिवहन में उपरोक्त हानि याचिकाकर्ता के नियंत्रण से बाहर है।

कोयला ढुलाई हानि के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के बहुवर्षीय ऊर्जादर टैरिफ निर्धारण आदेश के संबंध में आईपीजीसीएल द्वारा दायर याचिका के निर्णय में माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपने दिनांक 07/04/2011 को दिए गए निर्णय में निम्नलिखित आदेश दिया है:

22. "याचिकाकर्ता के अनुसार, राज्य आयोग ने 0.8% की कोयला ढुलाई हानि की अनुमति दी है और राष्ट्रीय स्तर पर इसे ही केंद्रीय आयोग के टैरिफ निर्धारण विनियमों में नुकसान का मानक स्वीकार किया है। यह पाया गया है कि राज्य आयोग ने याचिकाकर्ता के दावे को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि एनटीपीसी दादरी और बदरपुर स्टेशनों पर कोयले को धोने की आवश्यकता के लिए कोयला ढुलाई के दौरान हानि को चुनौती नहीं दी थी। दक्ष वकील द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि, एनटीपीसी को केवल 0.8% कोयला परिवहन हानि की अनुमति दी गई थी और एनटीपीसी के द्वारा चुनौती नहीं दी जाने के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे से इनकार नहीं किया जा सकता है।''

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राज्य आयोग ढुलाई के दौरान नुकसान बिना धुले और धुला कोयले दोनों के नुकसान पर विचार करने के लिए विफल रही है। लदान के समय निहित उच्च नमी की वजह से कोयले का वजन काफी बढ़ जाता है जो ढुलाई के दौरान और भंडारण के दौरान वाष्पीकृत हो जाता है। हम ने नोटिस किया है कि राज्य आयोग ने ढुलाई के दौरान नुकसान के बारे में एक तर्क संगत आदेश नहीं दिया है। देखा गया है कि याचिकाकर्ता के पावर स्टेशन के मामले में ढुलाई के दौरान हानि की जांच के बजाय राज्य आयोग ने इस पर ध्यान दिया है कि धुले हुए कोयले के उपयोग से संयंत्र के

कामकाज में सुधार की संभावना है। इसलिए, इस मामले, की फिर से जांच करने की जरूरत है। इसलिए, राज्य आयोग के लिए एनटीपीसी के कोयला ढुलाई के दौरान हानि के साथ तुलना किए बगैर याचिकाकर्ता के विद्युत गृह के संबंध में वास्तविक कोयला परिवहन हानि का निर्धारण करना आवश्यक है। इस हिसाब से उपरोक्त उत्तीरण हो जाता है।''

आगे, यह निवेदन है कि राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग जैसे अन्य राज्य आयोगों ने भी राज्य विद्युत उत्पादन स्टेशनों को अतीत में कोयला ढुलाई के दौरान के अधिक नुकसान की अनुमति दी है।

चूंकि, कोयला ढुलाई के दौरान उच्च नुकसान आईपीजीसीएल के नियंत्रण से बाहर है, माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए इसके कोयला आधारित स्टेशनों के लिए 3.8% ढुलाई के दौरान और नमी के नुकसान को सही करने का अनुरोध किया जाता है।

3.1.3 आईपी स्टेशन के लिए परिवर्तनीय लागत

संयंत्र का सकल उत्पादन, स्टेशन का एसएचआर, सकल कैलोरी मान और अवधि के दौरान ईंधन मूल्य पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2009–10 तक आई.पी. स्टेशन के लिए वास्तविक परिवर्तनीय लागत नीचे दिया गया है–

तालिका 15 : इन्द्रपस्थ पावर स्टेशन के लिए परिवर्तनीय लागत

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10
सकल उत्पान (एमयू)	1027.51	954.98	448.71
शुद्ध उत्पादन (एमयू)	887.92	817.14	376.49
कोयला उपभोग (एमटी)	1015371	935197	455756
उत्पादन प्रति टन कोयला (रुपये / एमटी)	1946	2084	2095

द्वितीयक तेल उपभोगः एलटीओ (केआई)	9204.32	8170.9	4826.51
द्वितीयक तेल की लागत (रुपये/केआई)	28527	35343	28214
ईंधन की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	223.81	223.78	109.11
उत्पादन में एचवीपीएनएल का अंश (एमयू)	281.63	246.22	122.52
ईंधन लागत दिल्ली अंश (एमयू)	**606.29**	**570.92**	**253.97**
एचवीपीएनएल अंश की ईंधन लागत (करोड़ रु.)	68.87	65.68	28.35
ईंधन लागत दिल्ली का अंश (करोड़ रुपये)	**154.94**	**158.1**	**80.76**
परिवर्तनीय लागत रुपये/किलोवाट घंटा	**2.5555**	**2.7692**	**3.1799**

माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष **2007–08 से वित्तीय** वर्ष **2009–10 से परिचालन के उपर्युक्त मापदंड पर आधारित आई.पी. स्टेशन के लिए वास्तविक परिवर्तनीय लागत को स्तर में लाने का आग्रह किया गया है।**

3.2 स्थायी लागत का अनुमान

वित्तीय वर्ष **2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की अवधि के लिए आईपीजीसीएल के स्टेशनों के लिए कुल स्थायी लागत की गणना निम्नांकित चीजों की बनी है–**

क. परिचालन एवं रखरखाव व्यय

ख. ऋण पर ब्याज

ग. मूल्य ह्रास

घ. अंश व्यय पर लाभांश

ड़. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

च. आयकर

3.2.1 पूंजी व्यय

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी अवधि के दौरान विविध पूंजी व्यय को दर्शाता है। स्थायी लागत की गणना के 7030 के अनुपात की ऋण और अंश के माध्यम से लिए उसे ही फंड करने पर विचार किया गया है।

तालिका 16 : जी टी गैस टरबाइन स्टेशन के लिए पूंजी व्यय

तालिका (रु.लाख में)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
जीटी जनरेटर प्रोट्क्शन सिस्टम का विस्थापन	21.45	30.91			
जीटी की एवीआर एक्साइटेशन सिस्टम का विस्थापन	130.00	226.92			293.00
जीटी के जनरेटर स्टेटर बार की खरीद	751.63				
भाप टरबाइन के लिए जनरेटर रोटोर की खरीद	420.80				
प्रो –कंट्रोल सिस्टम जांच एवं सिमुलेसन माड्युल	15.56				
फायर हाइड्रेंट और इमल्सीफायर सिस्टम का पुनर्निवेश	50.00				
स्पाइरल फिन्नड ट्युब	38.00				
रोटोर	1600.00				
मार्क व्ले के साथ वर्तमान मार्क– IV नियंत्रण सिस्टम का विस्थापन		302.08		796.00	
एचआरएसजी ट्युब का विस्थापन*		367.21	372.00	744.00	576.00
गैस टरबाइन का अप–ग्रेडेशन			1601.94	1296.00	
गैस–टरबाइन के कंप्रेसन का सुधार			445.26	645.00	
जीटी एक्साइटर			159.56		
एबीटी मीटर			66.85		
द्रव ईंधन के लिए रुपान्तरण		146.29			
गैस टरबाइन रोटोर की मरम्मत/ रि–ब्लेडिंग		1272.5			
डीवीआर				519.00	
डब्ल्युएचआरयु के लिए आंतरिक केसिंग गाइड ब्लेड की खरीद					
स्टीम टरबाइन रोटोर असेम्बली की खरीद					
भंडारण टैंक एचसीएल अम्ल					9.00
प्रयोगशाला उपकरण					81.00
भाप टरबाइन का इलेक्ट्रानिक गवर्नर					123.00
फायर टेंडर					40.00
कम्प्युटर (ईआरपी)			55.00		34.00
ईआरपी साफ्टवेयर			168.00		
एच क्यू अंस	16.00	26.00	22.00	19.00	17.00
कुल	**3043.44**	**2371.91**	**2890.61**	**4019.00**	**1173.00**

*** जैसा नीचे इंगित किया गया है**

तालिका 17 : आर एवं एम के रुप में दर्ज व्यय लेकिन जीटीपीएस के लिए कैपेक्स के रुप में अनुमोदित

योजना (रु. करोड़ में)	मंजूर कैपेक्स	वास्तविक
एचआरएसजी ट्युब का विस्थापन	22.50	20.59
इलेक्ट्रानिक गवर्नर	1.50	1.15

तालिका 18 : राजघाट पावर स्टेशन के लिए पूंजी व्यय

विवरण (रु. लाख में)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
इलेक्ट्रॉनिक गवर्निंग सिस्टम का प्रतिस्थापन	114.64				
ज्ल ढ़ंठा करने के लिए पार्श्व स्ट्रीम छनन इकाई	28.50				
हाइड्रा क्रेन			18.99		
फायर टेंडर					
तौलने वाला पुल					7.00
कम्प्युटर (ईआरपी)			27.00		
ईआरपी साफ्टवेयर			84.00		
कैपेक्स के अंतर्गत मंजूर योजनाएं लेकिन लेखा संबंधी मरम्मत एवं रख–रखाव के अंतर्गत दर्ज **	28.00	178.00	120.00	378.00	
एच क्यू अंश	8.00	13.00	11.00	9.00	
कुल	**179.14**	**191.00**	**260.99**	**387.00**	**7.00**

** **तालिका में नीचे इंगित**

तालिका **19 : आर एवं एम के रुप में दर्ज व्यय लेकिन आरपीएच के लिए कैपेक्स के रुप में अनुमोदित**

योजना (रु. करोड़)	अनुमोदित कैपेक्स	वास्तविक
33 केवी और 220 केवी पीटी /सीवीटी	0.40	0.269
लोको ईंजन का आर एवं एम	2.00	1.930
लिफ्ट का आर एवं एम	0.15	0.470
एसडब्ल्युएएस उपकरण का विस्थापन/ नवीकरण	0.45	0.141
टरबाइन रोटोर का रिफरबिशमेंट	2.00	1.550
दोनों इकाईयों का कंडेसर ट्यूब	2.50	2.680
कुल	**7.50**	**7.04**

तालिका 2011 : आई.पी.स्टेशन के लिए पूंजी व्यय

विवरण (रु. लाख में)	2007-08	08-09	09-10
नियंत्रण एवं उपकरण प्रणाली	70.00		
स्कवीरल केज इंडक्शन मोटर	16.00		
3.6 केवी 1259 एएमपी एसएफएस सर्किट ब्रेकर	13.00		
100 एमवीए ट्रांसफॉर्मर	170.00		

10/7.5 एमवीए ट्रांसफॉर्मर	33.00		
एच क्यू अंश	14.00	23.00	
कुल	**316.00**	**23.00**	

माननीय आयोग ने आरपीएच एवं जीटीपीएस के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान पूंजी योग को मंजूरी दी है। मंजूर योजनाओं का विवरण याचिका में दोहराव के लिए नहीं जमा किया गया है। मंजूर योजनाओं पर व्यय का सारांश उपर्युक्त तालिका में इंगित किया गया है।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि कुछ योजनाएं जो डीईआरसी द्वारा पूंजी व्यय योजना के अंतर्गत मंजूर की गई थीं वे साविधीक ऑडिटर के सलाह के अनुसार मरम्मत एवं रख–रखाव शीर्ष के तहत लेखाबद्ध की गई हैं ताकि लेखा मानकों का अनुपालन पूरा किया जा सके। माननीय आयोग का दिनांक 13.07.2012 के उनके टैरिफ आदेश में दृष्टिकोण है कि मंजूर पूंजी व्यय को पूंजी योग के अंतर्गत विचार किया जाए, न कि मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय के अंतर्गत। टैरिफ आदेश का संदर्भित निचोड़ नीचे दिया गया है–

"4.60 आयोग का दृष्टिकोण है कि चुंकि दावा की गई राशि को पहले से ही याचिकाकर्ता को संदर्भित सालों के लिए पूंजी व्यय (वित्त पोषण लागत एवं मूल्यह्रास के साथ) में अनुमति दी गई है, इसलिए उसे मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय के रुप में दावा नहीं किया जा सकता है। उसे संदर्भित सालों के लिए स्तर पर लाने के समय आईपीजीसीएल के लिए पूंजी व्यय के एक भाग के रुप में माना जाएगा।''

"5.64 आयोग का दृष्टिकोण है कि चुंकि दावा की गई राशि को पहले से ही याचिकाकर्ता को संदर्भित सालों के लिए पूंजी व्यय (वित्त पोषण लागत एवं मूल्यह्रास के साथ) में अनुमति दी गई है, इसलिए उसे मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय के रुप में दावा नहीं किया जा सकता है। उसे संदर्भित सालों के लिए स्तर पर लाने के समय आईपीजीसीएल के लिए पूंजी व्यय के एक भाग के रुप में माना जाएगा **"**

तदनुसार, मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय शीर्षक के अंतर्गत पूंजी व्यय योजना के खाते पर दर्ज व्यय को आवश्यक गणना के लिए पूंजी योग के अंतर्गत विचार किया गया।

मंजूर पूंजी योग के अतिरिक्त, कंपनी ने डीपीसीएल(तब की होल्डिंग कंपनी) को जनरेटर रोटोर के भुगतान के प्रति जीटीपीएस में 16 करोड़ रु. का योग दिया है। पूर्व में डीवीबी के अंनबंडलिंग के पहले डीपीसीएल ने रोटोर के लिए संबंधित दल को भुगतान किया। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान बिल बनाया गया और कंपनी ने डीपीसीएल को 16 करोड़ रु. का भुगतान किया। यह आग्रह है कि माननीय आयोग वित्तीय वर्ष 2007–08 के दौरान स्टेशन द्वारा उठाया गए वास्तविक पूंजी व्यय के प्रति 16 करोड़ रु. की एक अतिरिक्त राशि की अनुमति दें।

माननीय आयोग ने द्रव ईंधन पर काम कर रहे दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण को भी मंजूरी दी है और याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2008—09 में रुपान्तरण का संचालन किया।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय आयोग ने राजघाट पावर हाउस में एबीटी मीटर पर पूंजी योग को अनुमति दी है, लेकिन उसे गैस टरबाइन पावर स्टेशन में दर्ज किया गया है। उसी तरह, राजघाट पावर हाउस के लिए फायर टेंडर पर पूंजी योग को राजघाट पावर हाउस के प्रस्तावित बंद के कारण गैस टरबाइन पावर स्टेशन के खाते में डाला गया है।

आईपीजीसीएल ने आई.पी.स्टेशन के लिए वित्तीय वर्ष 2007—08 से वित्तीय वर्ष 2010—11 के लिए माननीय आयोग के समझ कोई कैपेक्स योजना प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि स्टेशन को बंद करने का प्रस्ताव था। तदनुसार, दिनांक 14.12.2007 के डीईआरसी आदेश में कोई मंजूर कैपेक्स योजना नहीं था। यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत है कि याचिकाकर्ता ने एमवाईटी अवधि के दौरान और संयंत्र बंद होने के पहले संयंत्र के सुचारु संचालन की आवश्यकता के कारण आई.पी.स्टेशन के लिए पूंजी योग पर कुछ व्यय उठाया है। इसलिए, माननीय आयोग से आई.पी.स्टेशन के लिए पूंजी योग को मंजूर करने का विनम्र आग्रह है।

3.2.2 परिचालन एवं रखरखाव व्यय

माननीय आयोग ने अपने जनरेसन टैरिफ नियमन, 2007 में परिचालन एवं रख—रखाव व्यय को तय करने के लिए नीचे प्रदान किया है:

'' परिचालन एवं रख—रखाव व्यय

6.29 परिचालन एवं रख—रखाव (ओ एवं एम) व्यय निम्नांकित का बना होगा:

(क) वेतन, मजदूरी, पेंशन योगदान और अन्य कर्मचारी लागत;
(ख) प्रशासनिक और सामान्य लागत;
(ग) मरम्मत एवं सामान्य लागत, और
(घ) अन्य विविध व्यय, वैधानिक लेवी और कर (कारपोरेट आय कर को छोड़कर)

6.30 वर्तमान जनरेटिंग स्टेशन, आवेदक, आयोग द्वारा मांगा गया ओ एवं एम व्यय पर ब्योरा प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओ एवं एम व्यय का निर्धारण, नवीनतम ऑडिटेड खाता वास्तविक, संदर्भित सालों के लिए जनरेटिंग कंपनी का आकलन और विचार किए गए अन्य संदर्भित कारकों के आधार पर किया जाएगा।''

वित्तीय वर्ष 2007—08 की नियंत्रण अवधि के दौरान ओ एवं एम व्यय का स्टेशन वार ब्योरा नीचे है:

आई.पी. स्टेशन

माननीय आयोग ने दिनांक 14.12.2007 के अपने टैरिफ आदेश में आईपीजीसीएल के सभी स्टेशनों के लिए छठे वेतन आयोग के प्रभाव के लिए विचार करने और प्रदान करने को अपनाया है। माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के एमवाईटी टैरिफ आदेस के विरुद्ध आईपीजीसीएल द्वारा दर्ज अपील सं. 26/2008 में अपने दिनांक 07.04.2011 के आदेस में ओ एवं एम व्यय के संदर्भ में निम्नांकित आदेश दिया है :

''27. उसके अतिरिक्त 6ठे वेतन आयोग की अनुसंशाओं को प्रार्थी द्वारा लागू माना गया है। इसके कारण, कर्मचारी का लागत बढ़ गया। विरोधी आदेश में, राज्य आयोग ने इस दावे को स्वीकार किया और कर्मचारी के लागत की अनुमति का आश्वासन दिया जो कि इसके लागू होने के विषय के अधीन है। यह अब इंगित किया गया कि कथित अनुससाएं वास्तव में प्रार्थी द्वारा लागू की गई हैं। अतः, राज्य आयोग को आवश्यक स्तर पर उपरोक्त लागत को अनुमति देने का निर्देश दिया गया है। हमने देखा है कि राज्य आयोग ने दिनांक 20.07.2009 के अपने आदेश में पहले ही निर्णय लिया है कि आधार वर्ष परिचालन और रख–रखाव व्यय पर उचित बढ़त लागू करना चाहिए। साथ ही, राज्य आयोग के ज्ञानी काउंसेल के अनुसार, 6ठे वेतन आयोग रिपोर्ट के अनुसार बढ़त को जल्द से जल्द वास्तविक आधार पर प्रभावी किया जाएगा। तदनुसार, हम वास्तविक / आडिटेड व्यय के आधार पर आधार वर्ष व्यय में उचित बढ़त को प्रभावी करने और जल्द से जल्द 6ठे वेतन आयोग रिपोर्ट तक बढ़ाने का निर्देश देते हैं।

हालांकि, माननीय आयोग ने दिनांक 26.08.2011 के अपने टैरिफ आदेश में आधार ओ एवं एम में संशेधन और छठे वेतन आयोग के प्रभाव के आधार पर केवल जीटीपीएस एवं आरपीएच के ओ एवं एम व्यय को संशेधित किया है। दिनांक 26.08.2011 के टैरिफ आदेश का संदर्भित उद्धरण नीचे दिए के अनुसार है :

"4.2 - आयोग ने एटीई में अपील सं. 26 /2008 में पहले ही एमवाईटी आदेश में गड़बड़ी को सुधारने के लिए याचिकाकर्ता के लिए आधार ओ एवं एम व्यय का संशोधन स्वीकारा है और सभी उपयोगिताओं के प्रति समान दृष्टिकोण लागू किया है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक साल के लिए ओ एवं एम व्यय के आकलन के लिए संशेधित आधार ओ एवं एम व्यय को4 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ाया है।....

4.7 नियंत्रण अवधि के लिए कर्मचारी लागत को अनुमोदित करते समय एमवाईटी आदेश में आयोग ने कहा है कि ***:***

"आयोग ने 6ठे वेतन आयोग की अनुसंशाओं के अनियंत्रित प्रकृति को पहचाना है और कुल कर्मचारी व्यय में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर विचार किया है। चुंकि, कर्मचारी लागत के संसोधन के मद पर बकाया केवल वित्तीय वर्ष 09 में भुगतान किया जाना अपेक्षित है, आयोग ने वित्तीय वर्ष 09 के आगे से टैरिफ में समान पर विचार किया है। आयोग, समान के वास्तविक प्रभाव पर आधारित छठे वेतन आयोग अनुसंशाओं के मद पर प्रभाव को स्तर में लाएगा। **"**

माननीय आयोग द्वारा यह भी इंगित किया गया कि चुंकि आई.पी. स्टेशन की मंजूरी दिसम्बर 31, 2009 को समाप्त कर दी गई थी, इसलिए इसके लिए उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की जरुरत नहीं है। आई.पी.स्टेशन सहित याचिकाकर्ता के सभी उत्पादन स्टेशनों के लिए स्तरीकरण, विस्तारित नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाएगा।

आरपीएच एवं जीटीपीएस के लिए ओ एवं एम व्यय में संशोधन के लिए माननीय आयोग द्वारा पहले से ही अपनाए गए सिद्धान्त के आधार पर, आई.पी. स्टेशन के लिए ओ एवं एम व्यय की गणना नीचे दिए अनुसार गणित की गई है:

तालिका 21: आई.पी. स्टेशन के लिए ओ एवं एम व्यय की गणना

विवरण **(**करोड़ रु.**)**	वि.व. **2006-07**	वि.व. **2007-08**	वि.व. **2008-09**	वि.व. **2009-10#**
कर्मचारी व्यय	26.66*	27.73	28.84	17.49
मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	20.16*	20.97	21.81	13.23
ए एवं जी व्यय	3.34*	3.47	3.61	2.19
6ठे वेतन आयोग का अतिरिक्त प्रभाव	5.99**	6.23	6.48	3.93
				7.50***
कुल संशोधित ओ एवं एम	**56.15**	**58.40**	**60.74**	**44.34**

#अक्तूबर, 2009 तक स्टेशन के परिचालन पर आधारित अनुपातिक मूल्य एक वर्ष में 7 महीनों के लिए है। स्टेशन दिसम्बर 2009 में बंद कर दिया गया।

*इसके दिनांक 3.12.2009 के आदेस के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए ओ एवं एम व्यय का अनुमोदित मूल्य

*वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए छठे वेतन आयोग का प्रभाव। इसे दिनांक 3.12.2009 के आदेश में विचार नहीं किया गया।

***1.1.2006 से 31.3.2007 से छठे वेतन आयोग का प्रभाव।

यह प्रस्तुत किया गया कि संयंत्र अक्तूबर–2009 तक परिचालित हुआ, अर्थात वित्तीय वर्ष 2009–10 में 7 महीनों के लिए और इसलिए वित्तीय वर्ष 2009–10 में मापदंडों को 7 महीनों के लिए अनुपात के लिए विचार किया गया। हालांकि, स्टेशन अंततः 31.12.2009 को बंद कर दिया गया। माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने का आग्रह किया गया।

राजघाट पावर हाउस:-

यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 से एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान मानक ओ एवं एम व्यय पर पहुंचने के लिए मूल ओ एवं एम व्यय पर साल दर साल के आधार पर 4 प्रतिशत के वृद्धि कारक की अनुमति दी है। यह प्रस्तुत किया गया कि आधार ओ एवं एम व्यय पर 4 प्रतिशत का वृद्धि कारक पर्याप्त नहीं था और केवल साल के दौरान अवमूल्य कारक को पूरा करने के लिए था। वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक मूल्यह्रास कारक करीब 8 प्रतिशत था जो कि माननीय आयोग द्वारा पहचाना गया है। यह माननीय आयोग द्वारा प्रदत तालिका में इसके दिनांक 13.07.2012 के टैरिफ आदेश में नीचे दिखाया गया है। 4 प्रतिसत का मानक वृद्धि कारक, 8 प्रतिशत के वास्तिवक वृद्धि कारक को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

तालिका 22 : सूचकांक का गणन

वित्तीय वर्स	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक		थोक मूल्य सूचकांक	
	मूल्य	% बदलाव	मूल्य	% बदलाव
वि.व. **2005-06**	117.12		104.47	
वि.व.**2006-07**	125.00	6.73%	111.35	6.59%
वि.व.**2007-08**	132.75	6.20%	116.63	4.74%
वि.व. **2008-09**	144.83	9.10%	126.02	8.05%
वि.व. **2009-10**	162.75	12.37%	130.82	3.81%
वि.व. **2010-11**	179.75	10.45%	143.33	9.56%
औसत		**8.97%**		**6.55%**
भार		**0.55**		**0.45**
मूल्यह्रास कारक (लगभग)	**8.00%**			

4 प्रतिशत का वृद्धि कारक, 8 प्रतिशत के वास्तिवक वृद्धि कारक को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह तथ्य वास्तविक ओ एवं एम व्यय की तुलना में माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित ओ एवं एम व्यय से स्पष्ट है। वास्तविक ओ एवं एम, अनुमोदित ओ एवं एम व्यय से ज्यादा है। ओ एवं एम का सारांश नीचे तालिका 24 में दिया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया कि स्थानान्तरण योजना के अनुसार, हस्तांतरिती कंपनी में दिल्ली विद्युत बोर्ड के तत्कालीन कर्मचारियों पर लागू सेवा की शर्तें व नियम स्थान्तरण के तुरत पहले लागू नियम व शर्तों की तुलना में किसी भी तरह से कम अनुकूल या कमतर नहीं होगा। उनकी सेवा स्थान्तरण के पहले लागू विविध नियम व कानून द्वारा शासित होना जारी रहेगा। कंपनी के कर्मचारियों का वेतन,

एफआरएसआर संरचना द्वारा शासित है। कंपनी द्वारा एफआरएसआर के अनुसार वेतन संरचना का पालन करना अनिवार्य है और उस पर इसका कोई नियंत्रण नहीं है। इस तरह, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारियों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी के बराबर है। सरकार प्रत्येक साल जुलाई और जनवरी से प्रभावी महंगाई भत्ते की दो किस्त देने का प्रावधान करती है। विगत में उंची महंगाई दर के कारण, डीए में 4 से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ोतरी हुई।

यह प्रस्तुत किया गया कि माननीय आयोग ने स्टेशन के लिए कम मरम्मत व रख–रखाव व्यय अनुमोदित किया है। याचिकाकर्ता फिर से कहना चाहेगा कि आर एवं एम व्यय इकाईयों के छोटे आकार और स्टेशन के पुराने होने के कारण अपेक्षाकृत ज्यादा होगा।

माननीय आयोग ने 2007–08 से 2010–11 की एमवाईटी अवधि के लिए पूंजी व्यय को मंजूरी दी है। वार्षिक खाता के ऑडिट के दौरान, वैधानिक आडिटर/ सीएजी की सलाह पर, पूंजी व्यय के लिए माननीय आयोग द्वारा मंजूर कुछ योजनाओं का व्यय लेखा मानकों को पूरा करने के लिए मरम्मत व रख–रखाव लागत पर जोड़ा गया है। ऐसे खर्चों को माननीय आयोग के समझ प्रस्तुत इस याचिका में कुल मरम्मत व रख–रखाव व्यय से घटाया गया है और माननीय आयोग के दिनांक 13.07.2012 के आदेसानुसार पूंजी व्यय के भाग के रुप में विचार किया गया है। माननीय आयोग ने ऐसे खर्चों को मरम्मत व रख–रखाव के अंतर्गत नहीं माना गया है और आयोग के विचार इसे पूंजी व्यय के अंतर्गत अनुमति देने की है। आदेश का संबद्ध उद्धरण नीचे दिए अनुसार है :-

"4.60" आयोग का दृष्टिकोण है कि चुंकि दावा की गई राशि को पहले से ही याचिकाकर्ता को संदर्भित सालों के लिए पूंजी व्यय (वित्त पोषण लागत एवं मूल्यह्रास के साथ) में अनुमति दी गई है, इसलिए उसे मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय के रुप में दावा नहीं किया जा सकता है। उसे संदर्भित सालों के लिए स्तर पर लाने के समय आईपीजीसीएल के लिए पूंजी व्यय के एक भाग के रुप में माना जाएगा

आगे निवेदन है कि ए एवं जी व्यय मुख्यतः सुरक्षा पर व्यय में वृद्धि के कारण उच्चतर पक्ष में है। आईपीजीसीएल ने सीआईएसएफ को अपने संयंत्रों की सुरक्षा के लिए लगाया है। उनकी मैनपावर तैनाती और व्यय उनके निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार हैं। सीआईएसएफ सुरक्षा पर व्यय, वित्तीय व वर्ष 2010–11 के लिए 2.77 करोड़ रु. की तुलना में वित्तीय व वर्ष 2011–12 के लिए 5.67 करोड़ रु. था। उनकी वेतन संरचना भी केन्द्र सरकार के नियमों के तहत शासित है। यह आगे निवेदन है कि भारत सरकार ने सुरक्षा एजेंसी सेवाओं पर 01 मई 2006 से प्रभावी सेवा कर लगाया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2009 से प्रभावी सीआईएसएफ द्वारा प्रदत सेवाओं पर सेवा कर लगाने का निर्णय लिया है और भारत सरकार के लंबित निर्णय के अनुसार 01.04.2009 के पहले की अवधि के लिए सेवा कर देय नहीं होगा। सीआईएसएफ द्वारा प्रदत सेवाओं पर कंपनी 10.3 प्रतिसत का अतिरिक्त सेवा कर लगा रही है। तदनुसार, सुरक्षा पर व्यय भी काफी बढ़ गया है।

आगे निवेदन है कि माननीय आयोग ने अपने 26.08.2011 के आदेश में आरपीएच और गैस टरबाइन विद्युत गृह के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय का पुनरीक्षण किया है। पुनरीक्षित प्रचालन एवं रखरखाव व्यय, आधार वर्ष 2009–10 के लिए समान स्टेशन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमति दी गई आधार प्रचालन एवं रखरखाव व्यय से कम हैं।

आगे विदित हो कि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की नियम और शर्तें) विनियम, 2009 ने वित्तीय वर्ष 2009–14 की अवधि के लिए विनियम 19(बी) में तलचर थर्मल पावर स्टेशन के लिए 5.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 32.75 रू लाख प्रति मेगा वाट पर प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की अनुमति दी है। तालचर ताप विद्युत गृह, 470 मेगा वाट (4x62.5 मेगा वाट + 2 x 110 मेगा वाट) की क्षमता है। ये इकाईयां इंद्रप्रस्थ स्टेशन और राजघाट पावर हाउस से बड़े आकार की हैं। आरपीएच के लिए समान प्रचालन एवं रखरखाव की गणना 44.21 करोड़ होती है।

तालिका 23 : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग मानदंड आधारित प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की तुलना

स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगा वाट)	आधार दर (डीईआरसी) (लाख रू. प्रति मेगा वाट)	कुल प्रचालन एवं रखरखाव डीईआरसी मानक के अनुसार (करोड़ रू.)	पुनरीक्षण के बाद डीईआरसी द्वारा अनुमति प्राप्त (करोड़ रू.)	अंतर (करोड़ रू.)
आर.पी.एच.	135	32.75	44.21	40.72*	3.49

* साल दर साल के आधार पर 6ठे वेतन आयोग के प्रभाव के आवंटन पर गणना।

अनुमोदित ओ एवं एम व्यय की तुलना में वास्तविक ओ एवं एम व्यय का सारांश नीचे दिए अनुसार है :-

तालिका24: आरपीएच के लिए अनुमोदित की तुलना में वास्तविक ओ एवं एम

विवरण (रू. करोड़)	**2007-08**		**2008-09**		**2009-10**		**2010-11**		**2011-12**		**Total**	
	अनु	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.
कर्मचारी व्यय	15.66	19.85	17.25	23.10	33.40	25.42	41.90	52.15	50.22	43.13	**158.43**	**163.65**
आर एवं एम	10.85	16.40	11.28	11.79	11.73	16.38	12.20	26.44	12.69	21.09	**58.75**	**92.10**
ए एवं जी	4.13	5.55	4.96	6.44	5.16	5.72	5.24	5.89	5.83	9.02	**25.32**	**32.62**
कुल	**30.64**	**41.80**	**33.49**	**41.33**	**50.29**	**47.52**	**59.34**	**84.48**	**68.74**	**73.24**	**242.50**	**288.37**

अन. = माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26.08.2011 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित

वास्त. = वास्तविक

इसलिए, माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान स्टेशन द्वारा किया गया ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने की प्रार्थना है।

गैस टरबाइन पावर स्टेशन

उसी तरह, जीटीपीएस के संबंध में, आरपीएच के लिए उल्लेखित कारक के अतिरिक्त, यह और निवेदन है कि जीटीपीएस के मामले में मरम्मत व रख–रखाव व्यय गैस टरबाइन के रख–रखाव गतिविधियों की चक्रिय प्रकृति के कारण साल दर साल के आधार पर बदलता है। सामान्यतः, दहन निरीक्षण प्रत्येक 8000 घंटों के बाद किया जाता है, हाट पाथ निरीक्षण मशीन के 24000 घंटा चलने के बाद और प्रमुख निरीक्षण गैस टरबाइन के परिचालन के प्रत्येक 48000 घंटे बाद। छह सालों के चक्रिय अवधि में गैस टरबाइन चार दहन निरीक्षण से गुजर चुका होता है, एत हाट गैस पाथ निरीक्षण और एक प्रमुख निरीक्षण। स्टेशन की नौ इकाईयां हैं (छह गैस टरबाइन और तीन भाप टरबाइन)। मरम्मत व रख–रखाव व्यय साल–दर–साल आधार पर बदलता है जो मसीन में किए गए निरीक्षण के प्रकार पर निर्भर है।

यह आगे निवेदन है कि आईपीजीटीपीएस के पास नौ मशीने हैं और एक गैस टरबाइन के प्रमुख निरीक्षण का लागत करीब 12–15 करोड रु. आता है, एक गैस टरबाइन के हाट गैस पाथ निरीक्षण की लागत करीब 6–7 करोड़ रु. और एक दहन निरीक्षण की लागत करीब 2–3 करोड़ रु. है। याचिकाकर्ता यह निवेदन करना चाहेगा कि छह सालों के एक चक्र में समय–समय पर किए गए विविध जीटी के विविध निरीक्षण, एसटीजी का मरम्मत व रख–रखाव, एचआरएसजी, संयंत्र का संतुलन, नागरीक कार्य और मुख्यालयों का अंस सहित औसत मरम्मत व रख–रखाव व्यय करीब 35 करोड़ रु. होगा।

यह फिर से कहा गया कि नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक औसत मूल्यह्रास सूचकांक करीब 8 प्रतिशत था जैसा कि तालिक 22 में पहले ही निवेदन किया गया है। माननीय आयोग ने कथित अवधि के लिए केवल 4 प्रतिशत का वृद्धि कारक प्रदान किया है जो कि वास्तविक मूल्यह्रास सूचकांक का आधार है। इसलिए, माननीय आयोग से 8 प्रतिशत के वृद्धि कारक के साथ ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने का आग्रह है।

याचिकादाता माननीय आयोग के सम्मुख यह लाना चाहता है कि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने छोटे गैस टरबाइन विद्युत उत्पादन स्टेशन के लिए 5.72 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.90 लाख प्रति मेगा वाट के व्यय की अनुमति दी है। गैस टरबाइन विद्युत गृह 25 सालों से ज्यादा समय से परिचालन में है। नए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग मानक के साथ गैस टरबाइन विद्युत गृह के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय 61.83 करोड रू. परिकलित होता है। यदि अगरतला गैस स्टेशन के आधार पर इसे लिया जाए तो गैस टरबाइन विद्युत गृह के लिए समान प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की गणना 85.73 करोड़ रू. होती है। वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग और उसकी तुलना में दिल्ली

विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमति प्राप्त प्रचालन एवं रखरखाव व्यय तुलना करने के लिए नीचे की तालिका में दी गई है।

तालिका 25 : वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग मानदंड आधारित प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की तुलना

स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगा वाट)	आधार दर (डीईआरसी) (लाख रू. प्रति मेगा वाट)	कुल प्रचालन एवं रखरखाव (करोड़ रू.)	पुनरीक्षण के बाद डीईआरसी द्वारा अनुमति प्राप्त (करोड़ रू.)	अंतर (करोड़ रू.)
जीटीपीएस	270	22.90	61.83	50.74*	11.09

* साल दर साल के आधार पर 6ठे वेतन आयोग के प्रभाव के आवंटन पर गणना।

उपरोक्त तालिका से यह अवलोकन किया जा सकता है कि तुलनात्मक स्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सेट मानदंड, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग द्वारा तय मानदंड की तुलना में काफी ज्यादा है। तदनुसार, आयोग से प्रचालन एवं रखरखाव लागत के लिए एक उदार और ज्यादा वास्तविक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह है।

यह निवेदन है कि माननीय आयोग ने तरल ईंधन पर मशीन के रूपान्तरण के लिए वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए गैस विद्युत उत्पादन स्टेशन का 4.0 करोड़ रू के अतिरिक्त प्रचालन एवं रखरखाव लागत की अनुमति दी है। गैस टरबाइन विद्युत गृह के लिए अनुमति प्राप्त प्रचालन एवं रखरखाव व्यय लाख रू. प्रति मेगावाट की तुलना में वास्तविक प्रचालन एवं रखरखाव व्यय को निम्नांकित रूप में तालिकाबद्ध किया गया है–

तालिका 2612 : अनुमति प्राप्त ओ एवं एमव व्यय की वास्तविक प्रचालन एवं रखरखाव से तुलना

(लाख रू. प्रति मेगा वाट)

वित्तीय वर्ष	वास्तविक	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के अनुसार *	लघु गैस टरबाइन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक	@ 8.00%

			आयोग के अनुसार	
2007-08	18.39	14.72		
2008-09	19.34	17.90		
2009-10	21.05	18.79	22.90	22.90
2010-11	33.88	21.74	24.21	24.73
2011-12	26.51	21.47	25.59	26.71

नोटः उपरोक्त में वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 से द्रव ईंधन पर मशीनों के रूपान्तरण के लिए 4.0 करोड़ रू. के अतिरिक्त प्रचालन एवं रखरखाव की अनुमति शामिल है।

विविधता, मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय की चक्रिय प्रकृति के कारण है।

उपर्युक्त से यह स्पस्ट है कि माननीय आयोग ने गैस टरबाइन स्टेशन के लिए कम ओ एवं एम व्यय की अनुमति दी है। यहां तक कि सीईआरसी द्वारा अनुमति प्राप्त मानक ओ एवं एम व्यय उच्चतर है।

यह निवेदन है कि डीईआरसी ने दिनांक 26.08.2011 के अपने आदेश में वित्तीय वर्ष 2007–08 से आगे के लिए ओ एवं एम व्यय की राशि को संशोधित किया है जो कि आवश्यक विवेक जांच के बाद वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने के आधार पर है। **यह निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2006–07 में जीटीपीएस में मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय कम था क्योंकि एमआई पर प्रमुख खर्च पहले के सालों में किया गया था। जैसा कि पहले से ही निवेदन किया गया है, जीटीपीएस में मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय चक्रिय प्रकृति का है और साल–दर–साल बदलता है।** यह देखा जा सकता है कि जीटीपीएस ने वित्तीय वर्ष 2007–08 में 29. 36 करोड रु. खर्च किया है, वित्तीय वर्ष 2008–09 में 23.94 करोड़ रु., वित्तीय वर्ष 2009–10 मे 29.35 करोड़ रु. और वित्तीय वर्ष 2010–11 में 42.76 करोड़ रु.। याचिकाकर्ता ने निवेदन किया कि चुंकि वित्तीय वर्ष 2006–07 में मरम्मत व रख–रखाव व्यय प्रकृति में चक्रिय होने के कारण कमतर थी, इसलिए उसे वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के लिए मानक तय करने के लिए बेंच मार्क नहीं बनाया जा सकता है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से कि मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय का व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने और निर्माता की अनुसंसाओं और गैस टरबाइन के लिए अपनाए जा रहे अभ्यास के अनुसार रख–रखाव की आधारभूत आवश्यकता पर विचार करते हुए उसे ही अनुमति देने की प्रार्थना की।

याचिकाकर्ता दोहराना चाहेगा कि एमवाईटी नियमन, 2007 में भी वास्तविक ऑडिटेड व्यय के अलावा नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय के आकलन पर विचार करते हुए नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय नियत था। हालांकि, ओ एवं एम व्यय को तय करने समय नियमन को नजरअंदाज किया गया था।

यह निवेदन किया गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार केन्द्रीय आयोग भी राज्य आयोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रुप में काम करे। इसलिए, आईपीजीसीएल के पुराने स्टेशनों के लिए ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने के लिए माननीय आयोग से एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रार्थना की गई।

आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण ने डीईआरसी आदेस 2006–07 के विरुद्ध अपनी अपील सं 81 2007 में विवेक जांच की अवधारणा पर व्यय के एक–एक वस्तुओं की जांच का आदेश दिया और केवल उन्हें नामंजूर किया जिन्हें न्यायाधिकरण ने समझा रोका जा सकता है या अविवेकपूर्ण तरीके से काफी ज्यादा हैं। माननीय आयोग से नियंत्रण अवधि के लिए ओ एवं एम व्यय को स्तर लाने के लिए माननीय एटीई द्वारा तय सिद्धान्तों को अपनाने की प्रार्थना की गई।
वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक ओ एवं एम व्यय के विरुद्ध माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित ओ एवं एम व्यय का सारांश (द्रव ईंधन पर दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण के लिए अतिरिक्त ओ एवं एम व्यय सहित) नीचे दिया गया है।:-

तालिका 27: जीटीपीएस के लिए अनुमोदित के विरुद्ध वास्तविक ओ एवं एम व्यय

विवरण (रु. करोड़)	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल	
	टनु	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.	अनु.	वास्त.
कर्मचारी व्यय	12.79	15.71	13.96	19.71	26.07	18.58	26.02	37.06	30.87	34.32	**109.71**	**125.38**
आर एवं एम	16.00	29.36	20.64	23.94	21.31	29.35	22.00	42.76	18.72	22.09	**98.67**	**147.50**
ए एवं जी	9.39	6.79	10.23	8.57	10.71	8.90	10.68	11.66	11.85	15.16	**52.86**	**51.08**
कुल	**38.18**	**51.86**	**44.83**	**52.22**	**58.09**	**56.83**	**58.70**	**91.48**	**61.44**	**71.57**	**261.24**	**323.96**

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से निवेदन किया कि वास्तविक ओ एवं एम व्यय की तुलना में ओ एवं एम व्यय को कम नियत करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ा है है जिसने इसके काम–काज और विकास कार्यों को प्रभावित किया है।
यह आगे निवेदन किया गया कि तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड से स्थानान्तरित पेंशन और कर्मचारियों के अन्य अंतिम लाभ को डीवीबी एम्पलाईज टर्मिनल बेनिफीट फंड, 2002 द्वारा संचालित किया जा रहा है। ट्रस्ट ने दिनांक 15.12.2009 के अपने पत्र के अनुसार 1.4.2007 को ट्रस्ट द्वारा किए गए बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार फंड में कमी के लिए आईपीजीसीएल के भाग के प्रति 159.51 करोड़ रु. की मांग प्रेषित की है।
यह आगे निवेदन किया गया है कि डीवीबी एम्पलाईज टर्मिनल बेनिफीट फंड, 2002 (**पेशंन** ट्रस्ट) ने मेडिकल व्यय, एलटीसी और **पेशंन** का बकाया एवं पेंशन में कमी तथा अन्य अंतिम लाभ के मद में वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए 32.35 करोड़ की एक अतिरिक्त मांग रखी है। याचिकाकर्ता ने इस याचिका में

इस राशि के लिए हिसाब नहीं किया है सिवाय मेडिकल तथा एलटीसी के प्रति 6.98 करोड़ रु. के। यह निवेदन किया गया कि यदि **पेशंन** ट्रस्ट से कोई और मांग के भुगतान की भविष्य में आवश्यकता होती है तो उसे कर्मचारी लाग के भाग के रुप में अनुमति दिया जाएगा क्योंकि वह नियंत्रण नहीं किया जा सकने वाला कारक है।

इसलिए, याचिकाकर्ता ने आईपीजीसीएल के स्टेशनों के लिए ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने के लिए आयोग से एक लचीले और यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है।

याचिकाकर्ता, सिद्धान्त, सीईए की अनुसंशाओं, याचिकाकर्ता के ओ एवं एम लागत के संदर्भ में माननीय एटीई द्वारा पारित **आदेश** को दोहराना चाहेगा। ओ एवं एम व्यय को स्तर लाने के दौरान निर्णय पर विचार करने का आग्रह किया गया।

माननीय आयोग ने इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रचालन एवं रखरखाव व्यय का आकलन करने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नियुक्ति की। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अनुसंशाओं का संदर्भित भाग नीचे पेश किया गया है–

"

i) ***.............................***

ii) ***वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के विविध घटकों पर वास्तविक मानक स्तर की तुलना में ज्यादा है। संयंत्र परिचालन को जारी रखने को सुनिश्चित करने के लिए यह विवेकपूर्ण होगा कि मानक प्रचालन एवं रखरखाव व्यय को एक भावी मानदंड माना जाए जिसे एक अवधि जैसे 3–5 सालों में प्राप्त किया जा सके। तब तक, अनुसंशा यह है कि भविष्य के लिए वार्षिक लक्षित सुधार के साथ, अच्छी तरह से लेखा परीक्षित वास्तविक व्यय, 2004–05 के लिए आधार बना सकता है।***

iii) ***भविष्य में लक्षित सुधार के लिए विशिष्ट प्रतिबद्धता होगी।***

iv) ***कर्मचारियों की बड़ी संख्या एक चिंता का विषय है क्योंकि इसके परिणामस्वरुप निधि का हिस्सा वेतन आदि में चला जाता है। वर्तमान कर्मचारी को व्यवहारिक तरीके में पुनर्गठन/ या पुनः तैनात करने की जरुरत है जिसके लिए किसी विशेषज्ञ/परामर्शदाता द्वारा एक अलग अध्ययन कराया जा सकता है।"***

उपर्युक्त रिपोर्ट से यह अवलोकन किया जा सकता है कि प्रचालन एवं रखरखाव मानक तक पहुंचने के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 3 से 5 सालों की परिवर्तन अवधि की अनुसंशा की। यह बात गौर करने योग्य है कि कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के मूल्यांकन रिपोर्ट इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड के लिए परिवर्तन अवधि की अनुमति नहीं दी गयी है, हालांकि वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान माननीय अपील न्यायाधिकरण आदेश का क्रियान्वयन किया गया।

इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड की इकाईयां आकार में छोटी हैं और उम्र में पुरानी भी हैं, इस तरह इसके परिचालन के लिए ज्यादा श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है और साथ ही ज्यादा मरम्मत एवं रख–रखाव खर्च। छोटे आकार और पुराने संयंत्र के लिए ज्यादा प्रचालन एवं रखरखाव व्यय की अनुमति के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इस तथ्य को माना गया है।

माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के सिद्धान्त को अगले वित्तीय वर्ष 2011–12 तक विस्तार दिया है। यह निवेदन किया गया कि सीईआरसी ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के नियम व शर्तें) नियमन, 2009 जारी किया। केन्द्रीय आयोग ने नियमन में कई मापदंड को रुपान्तरित किया है। डीईआरसी एमवाईटी नियमन को वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 की नियंत्रण अवधि के लिए वर्ष 2007 में तैयार किया गया। इस बात की प्रशंसा की जा सकती है कि विविध परिस्थितियां और लागू सिद्धान्तों को बदला गया है।

इस तरह, एमवाईटी नियमन में उल्लेखित सिद्धान्त को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अक्षरशः नहीं विस्तारित किया जा सकता है। टैरिफ संबंधी प्रावधानों में से, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) को राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय टैरिफ नीति और सीईआरसी नियमन द्वारा मार्गदर्शित होना है। यह निवेदन किया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए एमवाईटी नियमन के सिद्धान्तों का विस्तार, कई संदर्भों में कंपनी के हित के लिए हानिकारक था। यह प्रार्थना किया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 को स्तर में लाने का काम वर्तमान परिस्थितियों और नई सीईआरसी टैरिफ नियमन के प्रकाश में किया जा सकता है।

आगे निवेदन है कि माननीय आयोग ने अपने 26.08.2011 के आदेश में आरपीएच और गैस टरबाइन विद्युत गृह के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय का पुनरीक्षण किया है। पुनरीक्षित प्रचालन एवं रखरखाव व्यय, आधार वर्ष 2009–10 के लिए समान स्टेशन के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमति दी गई आधार प्रचालन एवं रखरखाव व्यय से कम हैं। तुलनात्मक वक्तव्य क्रमशः तालिका 23 एवं 25 में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के दौरान मूल्यह्रास दर काफी कम रहा जिस पर याचिकाकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं था। माननीय आयोग द्वारा प्रदत वार्षिक आधार पर 4 प्रतिशत का वृद्धि कारक उद्योग जगत के 8 प्रतिसत के करीब के मूल्यह्रास कारक को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था जैसा कि तालिका सं. 22 में दिया गया है।

आगे यह निवेदन किया गया कि माननीय आयोग ने गैस टरबाइन पावर स्टेशन के लिए कम ओ एवं एम व्यय की अनुमति दी है। यहां तक कि सीईआरसी द्वारा अनुमति दिया गया मानक ओ एवं एम व्यय ज्यादा है। यह निवेदन किया गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, केन्द्रीय आयोग ने राज्य आयोग के लिए एक मार्गदर्शक के रुप में भी काम किया। इसलिए, माननीय आयोग से प्रार्थना किया गया कि आईपीजीसीएल के पुराने स्टेशनों के लिए ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने के लिए व्यवहारवादी दृ

ष्टिकोण अपनाएं। आगे यह निवेदन किया गया कि ऐसे स्टेशनों के लिए सामान्य मापदंड अपनाने के स्थान पर मापदंड में छूट दी जानी चाहिए। स्टेशन ने वास्तव में ज्यादा ओ एवं एम खर्च किया है। इसलिए, माननीय आयोग से वास्तविक ओ एवं एम को स्तर में लाने का आग्रह है।

आगे यह निवेदन किया गया कि बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2007 का खंड 6.30 एवं 6.31 प्रदान करता है कि आधार वर्ष के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय का निर्धारण, सबसे हाल के परीक्षित लेखा/वास्तविक, संदर्भित सालों के लिए आकलन और विवेक जांच के बाद प्रासंगिक समझे गए अन्य कारकों के आधार पर किया जाएगा और बहुवर्षीय टैरिफ विनियम, 2007 का खंड 6.41 प्रदान करता है कि आधार वर्ष के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय का निर्धारण नवीनतम लेखा वक्तव्य, प्रासंगिक सालों के लिए उत्पादक कंपनी और अन्य प्रासंगिक समझे गए कारकों के आधार पर किया जाएगा।

माननीय विद्युत अपील अधिकरण ने वि.वर्ष 2006–07 के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश के विरुद्ध अपील सं. 81/2007 में दिनांक 10.01.2008 के अपने आदेश में इस मुद्दे पर निम्न रूप में निर्णय दियाः

''प्रचालन एवं रखरखाव व्ययः जैसा कि उपर के अनुच्छेद में दिया गया है, आयोग ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए निर्देशात्मक बढ़ोतरी का कड़ाई से पालन किया है। याचिकाकर्ता ने आयोग से आग्रह किया है कि वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने को कहे। हालांकि, आयोग केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण रिपोर्ट के अनुसार कदम उठाया, आयोग के अनुसार यह रिपोर्ट परिचालन के सभी संदर्भित मापदंडों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया है। हालांकि, आयोग अनिश्चित था कि सांविधिक प्राधिकरण/न्यायालय आदि द्वारा लगाए गए विविध शर्तों के आधार पर इंद्रप्रस्थ स्टेशन को कब तक परिचालित किया जा सकता है। आयोग ने उसके बाद मानदंडों में ढ़ील नहीं दी। हालांकि, आयोग ने यह विचार नहीं किया कि क्या याचिकाकर्ता को लागत घटाने के उद्देश्य से उसके प्रदर्शन को सुधारने के लिए और समय देना उचित था।

11) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं प्राधिकरण का स्वयं कभी यह अर्थ नहीं था कि इसके द्वारा निर्धारित मानदंड का कड़ाई से पालन किया जाए। अनुसंशा संख्या VI में प्राधिकरण स्वयं कहता है कि मूल्यांकन, प्रकृति में अनुसंशात्मक है और प्रस्तुत आंकड़ों की बाध्यताओं/सीमाओं पर आधारित है। आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदंडों को लागू करने में संतुष्ट महसूस करता है और ऐसा करने के लिए बाध्य भी महसूस करता है अन्यथा उपभोक्ताओं का हित प्रभावित होगा। आयोग, पारित सभी तर्कसंगत प्रचालन एवं रखरखाव व्यय को अनुमति देने के लिए कर्तव्य बाधित है। आयोग को केवल विवेक जांच करने की अनुमति है। यदि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अंदर प्रचालन

एवं रखरखाव व्यय बढ़ गया होता तो आयोग का काम काफी आसान होता। हालांकि, वर्तमान मामले में, प्रचालन एवं रखरखाव व्यय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मानदंडों से काफी उपर चला गया है। इसलिए आयोग को याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए गए व्यय की जांच करने की आवश्यकता थी और यह पता लगाने की कि क्या याचिकाकर्ता ने कोई टाला जा सकने वाला खर्च किया था। याचिकाकर्ता पूर्व के दिल्ली विद्युत बोर्ड के हितों में एकमात्र उत्ताराधिकारी है और इसे कुछ पुराने पावर संयंत्र विरासत में मिले हैं। पावर संयंत्र के साथ इसे बड़ी संख्या में कर्मचारी भी मिले हैं जिन्हें वर्तमान कानूनी सत्ता में तुरत नहीं हटाया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छिक सेवानिवृत्त का प्रस्ताव देकर कर्मचारियों की संख्या घटाने की कोशिश की है। चूंकि संयंत्र पुराना है, इसके रख–रखाव का खर्च दिए गए समय पर आकलित व्यय से ज्यादा हो सकता है। याचिकाकर्ता अपने प्रदर्शन में सुधार का प्रयास कर रहा है, यह तथ्य 2005–06 और 2006–07 के लिए वास्तविक ताप दर के आंकड़ों से स्पष्ट है जिनके अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में 2006 में स्टेशन ताप दर में गिरावट आयी है। यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता अपने खर्चों में पूरी तरह से गैरजिम्मेदार रहा था। इसलिए, आयोग के लिए व्यय के हरेक वस्तु की जांच करना और केवल परिहार्य या अविवेकपूर्ण रुप से ज्यादा पाए गए व्यय को खारिज करना उचित रहेगा। हमारे पास एनडीपीएल बनाम दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग उर्जा कानून रिपोर्ट (एपीटीईएल) 2007 193 के मामले में विवेक जांच की अवधारणा के परीक्षण का एक अवसर था। आयोग ने दिल्ली की वितरण कंपनियों के लिए पहले के साल के व्यय के उपर केवल 4 प्रतिशत तक बढ़ोतरी करने की प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की अनुमति दी थी। आयोग ने कानूनी खर्चों और अन्य सामान्य खर्चों के मद में कटौती की थी। हम मानते हैं कि आयोग को वैसे व्यय की अनुमति देनी चाहिए थी जो न्यायोचित हैं और वैसे खर्चों को नहीं माननी चाहिए थी जो न्यायोचित नहीं हैं। आयोग केवल बढ़ोतरी के निर्देशात्मक दरों को लागू नहीं कर सकता और यह महसूस करे कि इसके बाद इसके नियामक कार्य पूरे हो गए हैं। हालांकि, उपभोक्ताओं की हितों के मद्देनजर आयोग उत्पादन, परेषण और वितरण के नियमन के लिए कर्तव्य –बाध्य है, यह इसके लिए भी बाध्य है कि उत्पादक, पारेषण और वितरक को उनका उचित लाभ मिल रहा है। इसलिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं हैं सिवाय यह मानने के कि आयोग को प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के सही आंकड़ों पर पहुंचने के लिए कुछ और अभ्यास करना होगा जिसे टैरिफ में शामिल माना जा सकता है। इसे व्यय के हरेक पहलुओं का परीक्षण करना होगा और जो स्पष्ट रुप से परिहार्य हैं या अविवेकपूर्ण हैं या अनुमति देने योग्य नहीं हैं उन्हें खारिज करना होगा और शेष को पारित करना होगा।''

माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण ने प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के संदर्भ में दिनांक 07.4.2011 के आदेश में इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष

2010–11 से बहुवर्षीय टैरिफ टैरिफ आदेश के विरुद्ध अपील संख्या 26/2008 में निम्नांकित फैसला दिया –

"27. इसके अतिरिक्त, छठे वेतन आयोग की अनुसंशाएं, याचिकाकर्ता द्वारा लागू माना गया। इसके कारण कर्मचारियों की लागत बढ़ गयी। रद्द करने के आदेश में, राज्य आयोग ने इस दावे को स्वीकार किया था और कर्मचारियों की लागत को लागू करने का आश्वासन दिया। अब यह बात उठायी गयी कि कथित अनुसंशाएं वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा लागू की गई हैं। इस तरह, राज्य आयोग को आवश्यक स्तर पर कथित लागत को अनुमति देने का निर्देश है। हमने गौर किया है कि राज्य आयोग ने दिनांक 20.07.2009 के अपने आदेश में पहले से ही निर्णय ले लिया है कि आधार वर्ष के परिचालन और रख–रखाव व्यय पर उचित बढ़ोतरी लागू करनी चाहिए। आगे, राज्य आयोग के वकील के अनुसार छठे वेतन आयोग के अनुसार वृद्धि को जितनी जल्द हो वास्तविक आधार पर प्रभावी किया जाएगा। तदनुसार, हम वास्तविक/लेखा परीक्षण के आधार पर आधार वर्ष के व्यय में वृद्धि के आधार पर उचित वृद्धि करने का निर्देश देते है।"

माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए टैरिफ तय करने के लिए दिनांक 26.08.2011 के अपने आदेश में आरपीएच और गैस टरबाइन विद्युत गृह के लिए छठे वेतन आयोग के प्रभाव को अनुमति दे दी है। आगे, माननीय आयोग ने दिनांक 13.07.2012 के आदेस माध्यम से वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए आरपीएच एवं जीटीपीएस के लिए टैरिफ का निर्धारण किया है और आई.पी. स्टेशन के लिए प्रभाव को अभी लागू करना बाकी है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के दौरान वास्तविक ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने का आग्रह किया।

3.2.3 ऋण पर ब्याज

ऋण पर ब्याज, बकाया ऋण, पुनर्भुगतान और लागू ब्याज दर पर निर्भर करता है। साथ ही, पूंजी योग पूंजी स्रोत का भी ब्याज लागत पर प्रभाव होता है।

नियंत्रक कंपनी से ऋण

दिल्ली विद्युत सुधार (स्थानांतरण योजना) नियम 2001 के अनुसार, 210 करोड़ रू. का असुरक्षित ऋण 1 जुलाई, 2002 को इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड को स्थानान्तरित किया गया और यह नियंत्रक कंपनी को भुगतेय है। कंपनी की सकल अचल संपत्ति के आधार पर इस ऋण को स्टेशन के अनुसार दो भागों में बांटा गया है।

तालिका 28 : इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड संयंत्र के लिए ऋण का द्विभाजन

पावर स्टेशन	करोड़ में रुपये
आईपी पावर स्टेशन	1.81
राजघाट पावर स्टेशन	89.33
जीटी पावर स्टेशन	118.86
कुल	**210.00**

दिल्ली सरकार से ऋण

दिल्ली सरकार से योजना निधि ऋण को वित्तीय वर्ष 2002–03 में एवं वित्तीय वर्ष 2003–04 से 13 प्रतिशत ब्याज पर लिया गया था और उसके बाद, योजना निधि ब्याज दर 11.50 प्रतिशत है। मूलधन पर समय से ब्याज अदायगी में देर की स्थिति में 2.75 प्रतिशत का दंडात्मक ब्याज लागू है। दंडात्मक ब्याज का हिसाब वार्षिक वित्त जरूरत मे रखा गया है।

इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान कुछ पूंजी जोड़ा है। इसे जीएनसीटीडी से आंतरिक संग्रहण या ऋण के माध्यम से घोषित किया गया है। आईपीजीसीएल ने जीपीटीएस के पूंजी योग एवं नियमित मरम्मत एवं रख–रखाव गतिविधियों को पूरा करने के लिए एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जीएनसीटीडी से 11.50 प्रतिसत की दर पर 31.10.2007 को 11.10 करोड़ रु. का एक ऋण और 03.03.2008 को 25.86 करोड़ रु. का एक अग्रिम ऋण लिया है।

माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान पूंजी योग को मंजूरी दे दी है। माननीय आयोग ने आरपीएच एवं जीटीपीएस में वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए मंजूर पूंजी के 90 प्रतिशत की अनुमति दी है और टैरिफ की गणना के उद्देश्य से जीटीपीएस के लिए वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुमोदित पूंजी योग के 100 प्रतिशक की। माननीय आयोग ने 11.50 प्रतिशत के ब्याज दर पर वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए पूंजी योग पर 70 प्रतिशत के एक अतिरिक्त मानक ऋण पर विचार किया है और अनुमति दी है।

उसी तरह, याचिकाकर्ता ने नियमन के तर्ज पर ऋण के माध्यम से फंड किया जाने वाला पूंजी योग के 70 प्रतिशत पर विचार किया है। तदनुसार, इस मानक ऋण पर ब्याज दर वार्षिक 11.50 प्रतिशत लिया गया है, आईपीजीसीएल द्वारा लिए गए ऋण के अनुसार और अपने टैरिफ आदेश में माननीय आयोग द्वारा विचार किए गए के अनुसार। ऋण पर ब्याज की विस्तृत गणना पत्रक यहां संलग्न है और **अनुलग्नक–एफ** के रुप में चिन्हित है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से पहले की एमवाईटी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष2011–12 के लिए ब्याज शुल्क को स्तर में लाने का आग्रह किया जैसा कि नीचे तालिका 29, 30 एवं 31 दिया गया है।

तालिका 29: ब्याज शुल्क (आई.पी.स्टेशन)

थ्ववरण (रु. करोड़)	2007-08	08-09	09-10
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	0.13	0.26	0.16
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	4.77	4.39	2.34
कुल ब्याज शुल्क	4.90	4.65	2.50

नोट–आई.पी.स्टेसन के लिए यह वित्तीय वर्ष2009–10 में 7 महीनों के लिए लिया गया है।

तालिका 3013: ब्याज शुल्क (आर.पी.एच)

विवरण (रु. करोड़	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	-0.15	-0.85	-1.68	-1.69	-1.34
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	14.15	13.93	13.26	11.65	10.01
कुल ब्याज शुल्क	14.00	13.08	11.58	9.96	8.67

तलिका 31: ब्याज शुल्क (जीटीपीएस)

विवरण (रु. करोड़	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	-1.08	-3.57	-4.92	-4.17	-2.91
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	24.70	25.70	25.32	23.92	21.66
कुल ब्याज शुल्क	23.62	22.13	20.40	19.75	18.75

नोट– वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान द्रव ईंधन पर दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण के लिए माननीय आयोग द्वारा मंजूर अतिरिक्त प्रभाव शामिल।

3.2.4 मूल्यह्रास

मूल्यह्रास, अचल संपत्तियों पर सीधी रेखा विधि के आधार पर लागू किया जाता है। मूल्यह्रास, वास्तविक लागत, अनुमानित जीवन और शेष जीवन पर आधारित है। लागू मूल्यह्रास दर, माननीय आयोग द्वारा संदर्भ अवधि के लिए अधिसूचित विनियम के अनुसार है।

आई.पी.स्टेशन**:-**

यह निवेदन है कि एमवाईटी उत्पादन टैरिफ नियमन, 2007 के अनुसार मूल्यह्रास को संपत्ति के मूल लागत के 90 प्रतिशक मान तक अनुमति दी जाएगी। संबंधित उद्धरण नीचे दिए अनुसार है:-

"***6.18*** संपत्ति का **अवशिष्ट** मूल्य 10 प्रतिशत माना जाएगा और मूल्यह्रास की अनुमति संपत्ति के मूल लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत होगा। भूमि कोई अवमूल्य होने वाली संपत्ति नहीं है और संपत्ति के मूल लागत के 90 प्रतिशत की गणना के दौरान इसकी लागत को बाहर रखा जाएगा। नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय की दशा में जो संपत्ति के जीवन को प्रभावित करता है, मूल्यह्रास की अनुमति संपत्ति के बढ़े हुए जीवन अवधि के अंदर संपत्ति के लागत के अधिकतम 90 प्रतिशत तक होगी।"

यह निवेदन किया गया है कि आई.पी.स्टेशन को 31.12.2009 को बंद किया गया था। माननीय आयोग द्वारा स्टेशन के बंद होने तक संचयी अवमूल्य की दी गई अनुमति, संपत्ति के मूल लागत के मूल्यह्रास का 90 प्रतिशत कवर नहीं करता है। अतः, नियमन के तर्ज पर **शेष** अवमूल्य की गणना की गई है। आई.पी. स्टेशन के लिए मूल्यह्रास का विस्तृत ब्योरा यहां संलग्न है और **अनुलग्नक–जी** के रुप में चिन्हित है। आई.पी. स्टेशन के लिए मूल्यह्रास का सारांश नीचे दिए अनुसार है :-

तलिका 32: इन्द्रप्रस्थ स्टेशन के लिए मूल्यह्रास

विवरण (रु. करोड़)	2007-08	08-09	09-10
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	4.73	4.73	4.73
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	5.88	5.88	3.43
कुल मूल्यह्रास	10.61	10.61	8.16

आरपीएच एवं जीटीपीएस

वित्तीय वर्ष 2007–08 की शुरुआत में मूल्यह्रास के उद्देश्य से आरंभिक सकल नियत संपत्ति पर नियम के अनुसार विचार किया गया है। यह विनम्र निवेदन है कि माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14.12.2007 के अपने आदेश में विचार किए गए 31.03.2007 को सकल नियत संपत्ति और खाता–बही के अनुसार वास्तविक सकल नियत संपत्ति में अंतर है। यह अंतर मुख्यतः कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2002–03 से वित्तीय वर्ष 2004–05 के दौरान पूंजी योग के कारण है जिस पर माननीय आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया।

वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के दौरान मूल्यह्रास राशि पर माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14.12.2007 के अपने टैरिफ आदेश में अनुमति प्रदान भारित औसत दर पर उपयोग के आधार पर नियत संपत्ति के औसत पर विचार किया गया है। विस्तृत गणना पत्र यहां संलग्न है और

अनुलग्नक–एच के रुप में चिन्हित है। माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अवमूल्य को नीचे दिए अनुसार स्तर में लाने का आग्रह है :-

तालिका 33: मूल्यह्रास (आरपीएच)

विवरण (रु. करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	0.31	-0.02	-0.42	-0.51	-0.44
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	8.12	8.51	9.00	9.20	9.20
कुल मूल्यह्रास	8.43	8.49	8.58	8.69	8.76

तालिका 3414: मूल्यह्रास (जीटीपीएस)

विवरण (रु. करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	0.35	-0.35	-0.76	-0.01	0.87
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	18.97	21.48	23.47	24.79	25.47
कुल मूल्यह्रास	19.32	21.13	22.71	24.78	26.34

नोट– वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान द्रव ईंधन पर दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण के लिए माननीय आयोग द्वारा मंजूर अतिरिक्त प्रभाव शामिल।

3.2.5 अंश पर लाभांश

माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए जीटीपीएस के लिए 79.24 करोड़ रु., आरपीएच के लिए 59.56 करोड़ रु. और आई.पी. स्टेशन के लिए 1.20करोड़ रु. के अंश की मंजूरी दी है। इसके बाद अंश में योग को उत्पादन टैरिफ नियमन, 2007 के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान किए गए पूंजी योग की 30 प्रतिशत समतुल्य राशि के रुप में माना गया है।

2. माननीय आयोग ने उत्पादन टैरिफ नियमन, 2007 में 14.00 प्रतिशत की दर पर आरओई के कर के बाद आधार दर को नियत किया है।

3. अंश पर लाभांश का सारांश स्टेशन वार रुप में नीचे दिया गया है। विस्तृत गणना पत्र यहां सलग्न है और **अनुलग्नक–आई** के रुप में चिन्हित है।

तलिका 35: अंश पर लाभांश (आई.पी.स्टेशन)

(करोड़ रु.)

विवरण	2007-08	08-09	09-10
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	0.06	0.14	0.08
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	0.17	0.17	0.10
अंश पर कुल प्राप्ति	0.23	0.31	0.18

आई.पी.स्टेशन के लिए, यह वित्तीय वर्ष 2009–10 में 7 महीनों के लिए लिया गया है।

तालिका 36: अंश पर लाभांश (आपीएच)

(करोड़ रु.)

थ्ववरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	-0.08	-0.46	-0.93	-1.03	-0.95
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	8.46	8.91	9.48	9.71	9.72
अंश पर कुल प्राप्ति	8.38	8.45	8.55	8.68	8.77

तालिका 157: अंश पर लाभांश (जीटीपीएस)

(करोड़ रु.)

क्र.सं. विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्तर में लाने का अतिरिक्त प्रभाव	-0.20	-0.85	-1.13	-0.61	0.04
टैरिफ आदेश में अनुमति प्राप्त	11.93	13.72	15.11	16.04	16.48
अंश पर कुल प्राप्ति	11.73	12.87	13.98	15.43	16.52

नोट– वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान द्रव ईंधन पर दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण के लिए माननीय आयोग द्वारा मंजूर अतिरिक्त प्रभाव शामिल।

3.2.6 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार की जाती है:

- 2 माह के लिए कोयले और द्वितीयक तेल की लागत
- 1 माह के लिए गैस की लागत
- 1/2 माह के लिए गैस स्टेशन के लिए तरल ईंधन की लागत
- एक माह के लिए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय

- दो माह की औसत बिलिंग के लिए समतुल्य प्राप्तियां
- रख–रखाव पुर्जे, परियोजना लागत का 1 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत बढोतरी

याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि माननीय आयोग ने दिनांक 26.08.2011 के अपने आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए स्टेशन के ओ एवं एम व्यय को संशोधित करते हैं। लेकिन एक महीने के लिए ओ एवं एम व्यय के मद पर कार्यशील पूंजी में ओ एवं एम व्यय और दो महीने के प्राप्य समतुल्य के अंतर पर कोई प्रभाव विचार में नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता ने पहले माननीय आयोग से ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने का आग्रह किया था। इस याचिका के अनुसार ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने का प्रभाव और आरपीएच एवं जीटीपीएस के लिए दिनांक 26.08.2011 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित और आई.पी. स्टेशन के लिए 14.12.2007 के आदेश के माध्यम से वर्तमान टैरिफ याचिका में कार्यशील पूंजी की गणना में विचार किया गया। यह आगे निवेदन है कि अन्य घटकों जैसे अंश पर लाभांश, ऋण पर ब्याज, मूल्यह्रास आदि में विविधता का भी प्राप्य पर प्रभाव होगा।
ब्याज पर माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए दिनांक 14. 12.2007 के अपने टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए दिनांक 26.08.2011 के आदेश में अनुमोदन के अनुसार विचार किया गया है।

उपर्युक्त सभी कारकों पर विचार करते हुए कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना नीचे दिए के अनुसार की गई है। विस्तृत गणना पत्र यहां सलग्न है और **अनुलग्नक–जे** के रुप में चिन्हित है।

तालिका 168: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आई.पी. स्टेशन)

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10
कार्यशील पूंजी पर अतिरिक्त प्रभाव	**5.86**	**4.46**	**3.90**
ब्याज की दर	12.75%	12.75%	12.75%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज पर अतिरिक्त प्रभाव	**0.75**	**0.57**	**0.29**
कार्यशील पूंजी पर अनुमोदित ब्याज	**7.46**	**8.05**	**4.82**
कार्यशील पूंजी पर कुल प्रस्तावित संशोधित ब्याज	**8.21**	**8.62**	**5.11**

तालिका 9: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (आरपीएच)

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
कार्यशील पूंजी पर अतिरिक्त प्रभाव	3.63	2.48	4.18	13.10	-0.46
ब्याज की दर	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	13.00%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज पर अतिरिक्त प्रभाव	0.46	0.32	0.53	1.67	-0.06
कार्यशील पूंजी पर अनुमोदित ब्याज	8.00	8.47	8.81	9.23	12.57
कार्यशील पूंजी पर कुल प्रस्तावित संशोधित ब्याज	8.46	8.79	9.34	10.90	12.51

तलिका 40: कार्यशील पूंजी पर ब्याज (जीटीपीएस)

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
कार्यशील पूंजी पर अतिरिक्त प्रभाव	4.15	1.57	2.64	11.27	-0.33
ब्याज की दर	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	13.00%
कार्यशील पूंजी पर ब्याज पर अतिरिक्त प्रभाव	0.53	0.20	0.34	1.44	-0.04
कार्यशील पूंजी पर अनुमोदित ब्याज	11.87	25.03	25.69	26.42	22.84
कार्यसील पूंजी पर कुल प्रस्तावित संशोधित ब्याज	12.40	25.22	26.03	27.86	22.80

नोट– वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 से द्रव ईंधन पर दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण के लिए माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रभाव शामिल

उपर्युक्त के आधार पर, माननीय आयोग से अनुरोध किया गया है कि नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए कार्यशील पूंजी पर लगने वाले ब्याज में समानता रखी जाए और इसे वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भी अनुमोदित किया जाए।

3.2.7 स्थायी लागत का सारांश

नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत[1] का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 41 : आईपी स्टेशन के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	58.40	60.74	44.34
मूल्य – ह्रास	10.60	10.61	8.16
ऋण पर ब्याज	4.90	4.65	2.50
अंश पर लाभांश	0.23	0.31	0.18
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	8.21	8.62	5.11
कुल स्थायी लागत	**82.34**	**84.93**	**60.29**

तालिका 42 : आईपी स्टेशन के लिए कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	39.48	47.98	26.26
मूल्य – ह्रास	5.88	5.88	3.43
ऋण पर ब्याज	4.77	4.39	2.34
अंश पर लाभांश	0.17	0.17	0.10
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	7.46	8.05	4.82
कुल स्थायी लागत	**57.76**	**66.47**	**36.95**

[1] वास्तविक आधार पर प्रचलित माध्यम के अनुसार करों की अनुमति होनी चाहिए।

तालिका 43-आई.पी. स्टेशन के लिए स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

विवरण (रू करोड़)	विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10
वास्तविक वार्षिक स्थायी लागत	वास्तविक वार्षिक स्थायी लागत	**82.34**	**84.93**	**60.29**
अनुमोदित वार्षिक निस्थायी लागत	अनुमोदित वार्षिक निस्थायी लागत	**57.76**	**66.47**	**36.95**
	अंतर	**24.58**	**18.46**	**23.34**

तालिका 44 : आरपीएच के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	41.80	41.33	47.52	84.48	73.24
मूल्य – ह्रास	8.43	8.49	8.58	8.69	8.76
ऋण पर ब्याज	14.00	13.08	11.58	9.96	8.67
अंश पर लाभांश	8.38	8.45	8.55	8.68	8.77
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	8.46	8.79	9.34	10.90	12.51
कुल स्थायी लागत	81.07	80.14	85.57	122.71	111.95

तालिका 45 : आरपीएच के लिए कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	30.64	33.48	50.29	59.34	68.74
मूल्य – ह्रास	8.12	8.51	9.00	9.20	9.20
ऋण पर ब्याज	14.15	13.93	13.26	11.65	10.01
अंश पर लाभांश	8.46	8.91	9.48	9.71	9.72
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	8.00	8.47	8.81	9.23	12.57

कुल स्थायी लागत	**69.36**	**73.30**	**90.83**	**99.13**	**110.23**

तालिका 46: आरपीएच के लिए स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
वास्तविक वार्षिक स्थायी लागत	81.07	80.14	85.57	122.71	111.95
अनुमोदित वार्षिक स्थायी लागत	**69.36**	**73.30**	**90.83**	**99.13**	**110.23**
टंतर	**11.71**	**6.84**	**-5.26**	**23.58**	**1.72**

तालिका 47 : जीटीपीएस के लिए कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	51.86	52.22	56.83	91.48	71.57
मूल्य – ह्रास	19.32	21.13	22.71	24.78	26.34
ऋण पर ब्याज	23.62	22.13	20.40	19.75	18.75
अंश पर लाभांश	11.73	12.87	13.98	15.43	16.52
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	12.40	25.23	26.03	27.86	22.80
कुल स्थायी लागत	**118.93**	**133.58**	**139.94**	**179.29**	**155.98**

तालिका 48 : जीटीपीएस के लिए कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	38.18	44.83	58.09	58.70	61.44
मूल्य – ह्रास	18.97	21.48	23.47	24.79	25.47
ऋण पर ब्याज	24.70	25.70	25.32	23.92	21.66
अंश पर लाभांश	11.93	13.72	15.11	16.04	16.48
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	11.87	25.03	25.69	26.42	22.84

कुल स्थायी लागत	**105.65**	**130.76**	**147.68**	**149.87**	**147.89**

नोट– वित्तीय वर्ष 2008–09 से वित्तीय वर्ष 2010–11 से द्रव ईंधन पर दो गैस टरबाइन के रुपान्तरण के लिए माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित अतिरिक्त प्रभाव शामिल

तालिका49: जीटीपीएस के लिए स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
वास्तविक वार्षिक स्थायी लागत	**118.93**	**133.58**	**139.94**	**179.29**	**155.98**
अनुमोदित वार्षिक स्थायी लागत	**105.65**	**130.76**	**147.68**	**149.87**	**147.89**
टंतर	**13.28**	**2.82**	**-7.74**	**29.42**	**8.09**

माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए आईपीजीसीएल के स्टेशनों के लिए वास्तविक वार्षिक निस्थायी लागत को स्तर में लाने की प्रार्थना की गई। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने केवल याचिका के साथ आवश्यक प्रारुप शामिल किया है।

अध्याय 4: प्रार्थना

4. प्रार्थना

इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड ने माननीय आयोग से आदरपूर्ण निम्नवत प्रार्थना करता है:

- इस याचिका को स्वीकार करने के लिए
- जैसा कि प्रार्थना किया गया है वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए पूंजी योग को मंजूर करने के लिए
- जैसा कि याचिका में प्रार्थना किया गया है, ओ एवं एम व्यय को स्तर पर लाने के लिए
- जैसा कि याचिका में आई.पी. स्टेशन के लिए प्रार्थना किया गया है, विविध लागत को मंजूर करने के लिए।
- जैसा कि याचिका में प्रार्थना किया गया है आरपीएच एवं जीटीपीएस के लिए मापदंड के मानकों को स्तर पर लाने के लिए।
- जैसा कि याचिका में प्रार्थना किया गया है वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए स्थायी लागत को स्तर पर लाने के लिए।
- जैसा कि याचिका में प्रार्थना किया गया है, आई.पी. स्टेशन के लिए मूल्यह्रास को स्तर पर लाने के लिए।
- याचिका संख्या 26/2008 में माननीय विद्युत अपील प्राधिकरण के आदेश को क्रियांवित्त करने के लिए
- कोई भी अन्य सहायता प्रदान करना जिसे माननीय आयोग उचित समझता है। प्रार्थी माननीय आयोग से इस अनुमति की याचना करता है कि इस याचिका में और अधिक अनुरोध करने, संशोधित करने और परिवर्तन करने, जो समय समय पर आवश्यक हो उसकी स्वीकृति प्रदान करें।
- कोई भी अन्य आदेश पारित करना जो मामले की परिस्थितियों और न्याय के हित में माननीय आयोग द्वारा योग्य और उचित समझा जाता है।